[2022] 10 एस. सी. आर. 465

महाराष्ट्र राज्य

वी.

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

(सिविल अपील सं। 2748-49 2022 का)

22 अप्रैल, 2022

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सूर्या कांत

और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण

वित्तीय प्रतिष्ठान) अधिनियम, 1999: एसएस। 2 (ग), 2 (घ), 4 और 5-एन. एस. ई. एल., वित्तीय प्रतिष्ठान या नहीं-उत्तरदाता के पास इसका 99.99% है।

एन. एस. ई. एल. कंपनी की शेयरधारिता-एन. एस. ई. एल. ने वस्तुओं में हाजिर व्यापार के लिए एक एक्सचेंज के रूप में काम करना शुरू किया-इसने अनुबंध शुरू किए

विभिन्न निपटान अवधियों के साथ अपने व्यापारिक मंच पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए-इसके बाद धोखाधड़ी हुई

13, 000 से अधिक का 5500 करोड़ रुपये का निपटान संकट

एन. एस. ई. एल.-एन. एस. ई. एल. के व्यापारिक मंच पर विक्रेताओं/निवेशकों ने बकाया राशि का भुगतान करने में चूक की-क्योंकि इसके पास पर्याप्त राशि नहीं थी।

कुर्की के लिए धन या संपत्ति यू/एस। 4 , राज्य ने प्रत्यर्थी की संपत्तियों को कुर्क किया जो एन. एस. ई. एल. की हिस्सेदारी का 99.99% का मालिक है।

- एम. पी. आई. डी. के आह्वान को चुनौती देने वाली उत्तरदाताओं की याचिका इस आधार पर कार्य करें कि एक्सचेंज धारा 2 (सी) के तहत एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' नहीं है-उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को यह मानते हुए रद्द कर दिया कि

बेचने वाले सदस्यों द्वारा खरीद करने वाले सदस्यों और टी. डी. एस. से एकत्र किया गया एन. एस. ई. एल. द्वारा कटौती नहीं की गई है जो इंगित करता है कि एन. एस. ई. एल. केवल एक पास-थ्रू है।

मंच; कि एन. एस. ई. एल. को एस. के अर्थ के भीतर कोई जमा राशि प्राप्त नहीं हुई। 2 (ग) चूंकि एन. एस. ई. एल. को वस्तुएँ या धन प्राप्त नहीं हुआ था

बनाए रखा जाए; कि एन. एस. ई. एल. को केवल लेन-देन और गोदाम प्राप्त हुए ऐसे शुल्क जिन्हें जमा के रूप में नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार एन. एस. ई. एल. एक वित्तीय प्रतिष्ठान नहीं है '-अपील

पर अभिनिर्धारित किया गयाः एन. एस. ई. एल. एक वित्तीय प्रतिष्ठान है-यू/एस. द्वारा जारी की गई विवादित अधिसूचनाएँ। 4 एमपीआईडी का

प्रत्यर्थी की संपत्तियों को कुर्क करने वाला अधिनियम वैध है-एन. एस. ई. एल. को निपटान गारंटी निधि के रूप में 'धन' प्राप्त होता है जो है -

धन और सेवा में वापस किया गया-एस. जी. एफ. धारा 2 (सी) के अपवादों द्वारा कवर नहीं किया गया है, इस प्रकार यह 'जमा' यू/एस अभिव्यक्ति के भीतर आएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 (ग)-- एन. एस. ई. एल. वस्तु प्राप्त करने के बदले में 3 सेवाओं की एक भीड़ प्रदान करता है-वस्तुओं की रसीद और वस्तुओं को धारण करना। मान्यता प्राप्त गोदामों में वस्तुएं धारा 2 (सी) के तहत 'जमा' होती हैं-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि केवल अगर वापसी में ब्याज, बोनस या कोई अन्य अतिरिक्त लाभ शामिल है, तो यह एम. पी. आई. डी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए जमा होगी-उच्च न्यायालय ने इसकी परिभाषा पढ़ी

' के हितकारी उद्देश्य के किसी भी संदर्भ के बिना 'संकीर्ण रूप से जमा'

एम. पी. आई. डी. अधिनियम-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

एस. 2 (ग) और 2 (घ)-जमा और वित्तीय प्रतिष्ठान की परिभाषा।

एस. 2 (ग)-निपटान गारंटी कोष के तहत जमा -

समझाया गया।

एस. 2 (ग)-वस्तुओं की प्राप्ति के तहत जमा-आयोजितः वस्तुओं की प्राप्ति और वस्तुओं को धारण करना (जब सदस्य रचनात्मक कब्जे में रखे जाते हैं) मान्यता प्राप्त गोदामों में एक 'जमा' यू/एस है। 2 ((ग) अधिनियम।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 प्रतिवादी की संपत्तियों को कुर्क करने वाली अधिसूचनाएं महाराष्ट्र की धारा 4 के तहत जारी की गई थीं।

जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999। धारा 4 केवल उन स्थितियों को शामिल करती है जहाँ एक वित्तीय प्रतिष्ठान एक चूक करने वाली संस्था है। [पैरा 30] [505-जी]

1.2 वित्तीय प्रतिष्ठान को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

जमा स्वीकार करना '। परिभाषा में इसके दायरे से बाहर रखा गया है (ए) एक निगम या सहकारी समिति जो या तो नियंत्रित या स्वामित्व में हो। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा; और (बी) एक बैंकिंग

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (सी) के तहत परिभाषित कंपनी। चूंकि एन. एस. ई. एल. किसी भी अपवाद के दायरे में नहीं आता है, इसलिए यह अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' होगा यदि वह जमा स्वीकार करने वाला व्यक्ति है। जनरल की धारा 3 (42) खंड अधिनियम 1897 निगमित और अनिगमित दोनों कंपनियों को शामिल करने के लिए 'व्यक्ति' की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है। अभिव्यक्ति जमा को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति जमा की वैधानिक परिभाषा में निम्नलिखित तत्व शामिल हैंः ((i) धन की कोई रसीद या महाराष्ट्र राज्य v.

लिमिटेड।

किसी वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति; (ii) ऐसी स्वीकृति उस धन या वस्तु के अधीन होनी चाहिए जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा वापस करने की आवश्यकता होती है; और (iii) धन या वस्तु की वापसी नकद, प्रकार या एक निर्दिष्ट सेवा के रूप में हो सकती है, ब्याज, बोनस, लाभ या किसी भी प्रकार के लाभ के साथ या उसके बिना।

अन्य रूप। परिभाषा के इन तत्वों का पालन किया जाता है

खंड (i) से (vii) में विचार किए गए विशिष्ट बहिष्करण। अपवादों के खंड (i) में एक राशि शामिल है जो इस प्रकार जुटाई जाती है - शेयर पूंजी या डिबेंचर, बॉन्ड या अन्य साधन जो एस. ई. बी. आई. के दिशानिर्देशों और विनियमों द्वारा शासित हैं। खंड (v) में कहा गया है कि

प्रतिभूति जमा, डीलरशिप जमा, बकाया राशि या माल या सेवाओं के ऑर्डर के खिलाफ अग्रिम के माध्यम से व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त धन को बाहर रखा जाएगा। द. खंड (i) से (vii) में बहिष्करण इंगित करते हैं कि ऐसे लेनदेन जो अन्यथा परिभाषा के व्यापक दायरे में आते हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। [पैरा 31] [506-एफ-जी; 507-ए; 508-बी-एफ]

1.3 'जमा' की परिभाषा में 'शामिल' और 'हमेशा शामिल माना जाएगा' वाक्यांश का उपयोग किया गया है। का आयात

यह एक कानूनी कल्पना का निर्माण करने के लिए है जिसके द्वारा उन कार्यों को शामिल करने का इरादा है जो अभिव्यक्ति के प्राकृतिक अर्थ के भीतर शामिल नहीं हैं। 'जमा' शब्द को परिभाषित करते समय 'शामिल' और 'हमेशा शामिल माना जाता है' का संयुक्त उपयोग शब्द को समावेशी बनाता है न कि प्रतिबंधात्मक। [पैरा 32] [509-ए-बी]

1.4 अभिव्यक्ति 'जमा' अपनी चौड़ाई में स्पष्ट रूप से व्यापक है और इसके दायरे में न केवल धन की कोई रसीद शामिल है, बल्कि

किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत किसी वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति। अभिव्यक्ति 'कोई भी' का उपयोग परिभाषा के मूल भाग में किया जाता है

पांच अवसरों पर अभिव्यक्ति 'जमा' अर्थात्; (i) धन की कोई रसीद; (ii) कोई भी मूल्यवान वस्तु; (iii) किसी भी वित्तीय द्वारा स्थापना; (iv) किसी लाभ के साथ या उसके बिना; और (v) किसी अन्य रूप में। [पैरा 33] [509-बी-ई]

1.5 उपरोक्त दोनों अभिव्यक्तियों को परिभाषित करते समय क़ानून द्वारा 'कोई भी' अभिव्यक्ति का बार-बार उपयोग करना इसका स्पष्ट प्रतिबिंब है

कानून के नियामक प्रावधानों को व्यापक और व्यापक तरीके से लागू करने का विधायी इरादा। कईयों के विपरीत

अन्य राज्य अधिनियम जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, धारा [2022] 10 एस. सी. आर. का खंड (सी)।

2 एम. पी. आई. डी. अधिनियम जमा के अर्थ को समझता है।

न केवल धन की प्राप्ति बल्कि किसी भी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति भी। [पैरा 35] [509-एफ-जी]

1.6 धारा 2 (सी) के दूसरे घटक के अनुसार, धन या वस्तु को वापस किया जाना चाहिए। हालांकि,

ऐसी वापसी आवश्यक रूप से नकद या किसी प्रकार के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी सेवा के रूप में भी होनी चाहिए, किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना। ब्याज के रूप में। यह याद रखने की आवश्यकता है कि धारा 2 (सी) के खंड (वी) में कहा गया है कि प्रतिभूति के रूप में धन या वस्तु की जमा राशि।

जमा, डीलरशिप जमा या अग्रिम राशि को 'जमा' वाक्यांश की परिभाषा से बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वित्तीय प्रतिष्ठान का कोई सदस्य रुपये जमा करता है। 25,000 , और यह कि सदस्यता की समाप्ति पर कटौती करके धन वापस किया जाता है, यह मुद्दा कि क्या जमा एक प्रतिभूति जमा है या धारा 2 (सी) के तहत कवर की गई प्रकृति का है, के संचालन की संरचना और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।

वित्तीय प्रतिष्ठान। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिभाषा में यह भी कहा गया है कि वापसी ब्याज या किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना हो सकती है। इसलिए, एन. एस. ई. एल. ने अपने अभ्यावेदन के माध्यम से प्लेटफॉर्म में व्यापार पर 16 प्रतिशत लाभ का आश्वासन दिया था या नहीं, इस पर दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलें यह निर्धारित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं हैं कि एन. एस. ई. एल. ने जमा स्वीकार किया है या नहीं। [पैरा 36] [510-बी-ई]

1.7 उपनियम स्पष्ट करते हैं कि एन. एस. ई. एल. व्यापारिक सदस्यों से धन और वस्तुएँ दोनों प्राप्त करता है। यह तय करने के लिए कि क्या

एन. एस. ई. एल. द्वारा इन प्राप्तियों को 'जमा' माना जा सकता है, 'वापसी' की परीक्षा को पूरा करना होगा। परीक्षण यह है कि वापसी नकद, वस्तु या सेवा में हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल ब्याज, बोनस या लाभ के लाभ के साथ होना चाहिए। इसलिए, यदि वित्तीय प्रतिष्ठान बिना किसी वृद्धि के जमा राशि वापस करने के लिए बाध्य है, तो यह अभी भी एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के दायरे में आएगा, बशर्ते कि जमा राशि इसके दायरे में न आए।

कोई भी अपवाद। प्रासंगिकता का अपवाद खंड (v) है जिसमें कहा गया है कि (ए) प्रतिभूति जमा; (बी) डीलरशिप जमा; (सी) बकाया धन; और (डी) वस्तुओं या सेवाओं के लिए आदेश के खिलाफ अग्रिम राशि के माध्यम से व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त राशियों को 'जमा' शब्द के दायरे से बाहर रखा जाएगा। [पैरा 37] [510-ई-एफ; 511-ए-बी] महाराष्ट्र राज्य बनाम।

लिमिटेड।

1.8 व्यापारिक सदस्य एन. एस. ई. एल. को एक मार्जिन जमा का भुगतान करते हैं और एन. एस. ई. एल. एक निपटान गारंटी कोष-एस. जी. एफ. का रखरखाव करता है। विनियमन

4.12 इसमें कहा गया है कि केवल उन सदस्यों के लेनदेन को वैध माना जाएगा जिन्होंने मार्जिन जमा और प्रतिभूति जमा का भुगतान किया है। इसलिए, एन. एस. ई. एल. के प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए मार्जिन जमा और प्रतिभूति जमा का भुगतान 'अनिवार्य' है। विनियमन 4.12 एस. जी. एफ. को 'प्रतिभूति जमा' के रूप में संदर्भित करता है। इसी तरह, उप-कानून 12.2। 1 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सदस्य योगदान करेगा न्यूनतम प्रतिभूति 'जमा'। हालांकि, केवल इसलिए कि एस. जी. एफ. को प्रतिभूति 'जमा' के रूप में संदर्भित किया जाता है, अपवाद स्वचालित रूप से लागू नहीं होगा। 'प्रतिभूति जमा' वाक्यांश का अर्थ आसपास के वाक्यांशों से रंग लेता है। खंड (v)

उप-धारा 2 (सी) में प्रतिभूति जमा, डीलरशिप जमा शामिल नहीं है,

बयाना धन, और 'जमा' वाक्यांश के दायरे से वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक आदेश के खिलाफ अग्रिम। अवधारणाएँ

उप-धारा 2 (सी) (वी) में उपयोग किया जाता है जो दो श्रेणियों में आता हैः (i) खरीद की इच्छा को इंगित करने के लिए भुगतान की गई सांकेतिक राशि (बकाया राशि और अग्रिम राशि), और (ii) एक पक्ष द्वारा चूक की आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए आवश्यक भुगतान (डीलरशिप जमा और प्रतिभूति)।

जमा)। [पैरा 38] [511-सी-एफ]

1.9 एस. जी. एफ. की विशेषताएँ इंगित करती हैं कि निधि का उपयोग उन खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो उपयोग से परे हैं।

यह एक नियमित प्रतिभूति कोष से बनाया जाता है। एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच एक प्रतिभूति जमा के विपरीत जहां निधि का उपयोग मकान मालिक के 'आवश्यक दायित्वों' को पूरा करने के लिए किया जाता है जैसे कि मरम्मत कार्य और कटौती तब की जाती है जब किरायेदार के पास बकाया भुगतान होता है, एन. एस. ई. एल. जमा का उपयोग किसी अन्य व्यापारिक सदस्य (विक्रेता) को व्यापारिक सदस्य (खरीदार) के भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए करता है क्योंकि एन. एस. ई. एल. लेनदेन के लिए एक काउंटर पार्टी है। हालांकि, एन. एस. ई. एल. इस कोष का उपयोग अपनी भूमिका से परे कार्यों को पूरा करने के लिए करता है।

एक विरोधी दल के रूप में। उदाहरण के लिए, इस निधि का उपयोग नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

निपटान संचालन में एन. एस. ई. एल. के सामने, प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, और निधि विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की जाती है।

व्यापार, जहाँ निधियों का उपयोग खंड में नुकसान, यदि कोई हो, को कवर करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए, एस. जी. एफ. की ये तीन विशेषताएं हैं।

यह इंगित करता है कि हालांकि एस. जी. एफ. को नामकरण में 'प्रतिभूति जमा' कहा जाता है, लेकिन इसकी विशेषताएँ प्रतिभूति जमा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूँकि एन. एस. ई. एल. एस. जी. एफ. के रूप में 'धन' प्राप्त करता है जो धन और सेवाओं में वापस किया जाता है, और अपवादों द्वारा कवर नहीं किया जाता है, इसलिए यह यू/एस 2 (सी) में परिभाषित 'जमा' अभिव्यक्ति के भीतर आएगा। [पैरा 41] [512-जी-एच; 513-ए-सी] 1.10 एन. एस. ई. एल. के प्लेटफॉर्म में व्यापार करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुओं को मान्यता प्राप्त गोदाम में रखना आवश्यक है।

एन. एस. ई. एल. एन. एस. ई. एल. तब व्यापारी को गोदाम की रसीद प्रदान करेगा। जब खरीदार के प्रस्ताव और विक्रेता के प्रस्ताव का मिलान किया जाता है, तो एन. एस. ई. एल. खरीदार सदस्य के भुगतान से राशि को डेबिट करेगा और इसे एन. एस. ई. एल. के एक्सचेंज में जमा किया जाएगा।

निपटान खाता। यदि विक्रेता की किसी विशेष वस्तु की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध है तो संचालन विभाग वितरण विभाग के साथ पुष्टि करेगा। इसके बाद पुष्टि होने पर, संचालन विभाग बिक्री दलाल के निर्दिष्ट बैंक खाते में खरीद मूल्य जारी करेगा। साथ ही, खरीदार के दलाल या खरीदार को एक वितरण आवंटन रिपोर्ट जारी की जाएगी। एक बार वैट चालान का भुगतान हो जाने के बाद, एन. एस. ई. एल. एक डिलीवरी नोट जारी करेगा जो खरीदार को निर्दिष्ट गोदाम से डिलीवरी लेने के लिए अधिकृत करेगा या यदि खरीदार चाहे, तो वह वस्तु का रचनात्मक कब्जा ले सकता है। 'जमा' शब्द की परिभाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अर्थ हो कि वस्तु की स्वीकृति के साथ वस्तु को स्वामित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। भले ही वित्तीय प्रतिष्ठान केवल वस्तु की 'अभिरक्षा' में हो, फिर भी यह इसके दायरे में आएगा।

'वस्तु की स्वीकृति' वाक्यांश का दायरा। वस्तु की अभिरक्षा की स्वीकृति पर, एन. एस. ई. एल. को विभिन्न सेवाएं प्रदान करनी होती हैं जैसे कि वस्तु को सुरक्षित रखने और बिना किसी नुकसान के रखने का दायित्व। इसके अतिरिक्त, अनुबंधों का मिलान करते समय संचालन विभाग और वितरण विभाग को समन्वय करना होगा। इसी तरह, खरीदार को डिलीवरी नोट भेजे जाने के बाद, वस्तु या तो खरीदार को वितरित की जाती है या खरीदार को वस्तु के रचनात्मक कब्जे में रखा जाता है। बाय-लॉ 2.96 में 'वेयरहाउस रसीद' वाक्यांश को एक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस बात का प्रमाण देता है कि वस्तु एन. एस. ई. एल. द्वारा अनुमोदित वेयरहाउस में रखी जा रही है। उपविधि 4.20 के खंड (ख) में कहा गया है कि यदि बकाया लेन-देन का निपटान डिलीवरी देकर या प्राप्त करके नहीं किया गया है, तो इसे (वस्तु) महाराष्ट्र राज्य के व्यापार नियमों के अनुसार खरीद-फरोख्त या बिक्री करके नीलाम किया जाएगा।

लिमिटेड।

विनिमय करें। बाय-लॉ 10.11 में कहा गया है कि वस्तुओं को केवल नामित व्यक्ति को वितरित किया जाएगा और उनसे ही वितरित किया जाएगा।

गोदाम। इसलिए, एन. एस. ई. एल. वस्तु प्राप्त करने के बदले में कई 'सेवाएं' प्रदान करता है। की रसीद अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत वस्तुओं और वस्तुओं को (जब सदस्यों को रचनात्मक कब्जे में रखा जाता है) मान्यता प्राप्त गोदामों में रखना 'जमा' है। [पैरा 42] [513-डी-एच; 514-ए-सी]

1.11 मूल्यवान वस्तु अभिव्यक्ति को क़ानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने का कोई वैध आधार नहीं है

प्रत्यर्थी कि अभिव्यक्ति को केवल अपने भीतर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को समझना चाहिए। यदि विधायिका का इरादा मूल्यवान वस्तु अभिव्यक्ति की परिभाषा को सीमित करने का था, तो वह अभिव्यक्ति के लिए एक कृत्रिम अर्थ आयात करने वाले स्पष्टीकरण का उपयोग कर सकती थी। हालांकि, विधायिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। एक मूल्यवान वस्तु एक वस्तु है। जिसका महत्वपूर्ण मूल्य है। यह केवल वस्तु के आंतरिक मूल्य को संदर्भित नहीं करता है। कोई वस्तु मूल्यवान है या नहीं, यह अधिनियम के हितकारी उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह इस संदर्भ में है कि एक उद्देश्य को अपनाना आवश्यक हो जाता है

निर्माण जो अर्थ और विषय-वस्तु को प्रभावित करेगा

कानून से। परिभाषा को प्रतिबंधात्मक अर्थों में पढ़ने का कोई भी प्रयास विधायी इरादे के विपरीत होगा। विधायिका का उद्देश्य 'जमा' अभिव्यक्ति के साथ-साथ 'वित्तीय प्रतिष्ठान' अभिव्यक्ति को एक व्यापक और सर्वव्यापी रूप में परिभाषित करना है। तरीके से। इसलिए, 'मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश को केवल मूल्यवान धातुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। एन. एस. ई. एल. जिन कृषि जिंसों का व्यापार करता है, वे इस अवधि के दायरे में आएंगे। [पैरा 43] [514-डी-जी]

1.12 युग्मित अनुबंधों को एन. एस. ई. एल. द्वारा एक अद्वितीय व्यापार अवसर के रूप में तैयार किया गया था, जिसके तहत एक व्यापारी, उदाहरण के लिए,

एक टी + 2 अनुबंध खरीदें (टी + 2 पर भुगतान-दायित्व के साथ) और साथ ही एक टी + 25 अनुबंध बेचेंगे (टी + 25 पर धन से भुगतान के साथ)। दो निपटान तिथियों के बीच मूल्य अंतर को लगभग 16 प्रतिशत के वार्षिक रिटर्न की पेशकश करने के लिए दर्शाया गया था। एनएसईएल स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया गया कि सभी ट्रेडों को स्टॉक के रूप में संपार्श्विक द्वारा समर्थित किया गया था और इसकी प्रबंधन गतिविधियों में [2022] 10 एस. सी. आर. शामिल थे।

चयन, मान्यता, गुणवत्ता परीक्षण, धूमन और बीमा। इसलिए, एन. एस. ई. एल. ने प्रतिनिधित्व किया कि धन प्राप्त करने पर और वस्तुएँ, सदस्यों को सुनिश्चित वापसी और एक सेवा प्राप्त होगी। हालांकि एन. एस. ई. एल. जमा प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह जमा के खिलाफ वादे के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है और मांग पर जमा राशि वापस करने में विफल रहा है। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत कुर्की अधिसूचना जारी करने में उचित ठहराया गया। [पैरा 45] [517-ई-एच]

1.13 उच्च न्यायालय ने एक गलत राय दी है कि सबसे पहले, केवल तभी जब वापसी में ब्याज, बोनस या कोई अन्य राशि शामिल हो।

अतिरिक्त लाभ, यह एम. पी. आई. डी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक जमा राशि होगी। हालांकि, धारा 2 (सी) में कहा गया है कि वापसी ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना हो सकती है। परिभाषा में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक अतिरिक्त लाभ होना चाहिए, बल्कि यह कि अतिरिक्त लाभ परिभाषा के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है; दूसरा, कि यू/एस 2 (सी) के उद्देश्य के लिए, वस्तु या धन की प्राप्ति को स्वयं ही बनाए रखा जाना चाहिए। परिभाषा में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।

बल्कि, परिभाषा को मोटे तौर पर सीमित उद्देश्य के लिए वस्तुओं के कब्जे को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। उच्च न्यायालय ने 'जमा' की परिभाषा को संक्षिप्त रूप से पढ़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादित फैसले के एम. पी. आई. डी. Act.The के हितकारी उद्देश्य के संदर्भ को दरकिनार कर दिया गया है। प्रतिवादी की संपत्तियों को संलग्न करने वाली एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी की गई विवादित अधिसूचनाएं वैध हैं। [पैरा 61,66] [535-सी ई; 536-एफ]

63 चंद्रमा प्रौद्योगिकी बनाम। भारत संघ (2019) 18 एस. सी. सी. 401; न्यू होराइजन शुगर मिल्स लिमिटेड v. सरकार

पांडिचेरी (2012) 10 एस. सी. सी. 575: [2012]

8 एससीआर 874; केके भास्करन बनाम। राज्य (2011) 3 एससीसी 793: [2011] 3 एस. सी. आर. 527; राज्य बनाम. केएस पलानीचामी (2017) 16 एससीसी 384: [2017] 4 एससीआर 34; पीजीएफ बनाम। भारत संघ (2015) 13 एससीसी 50: [2013] 6 एससीआर 32; मोहिंदर सिंह गिल बनाम। सीईसी (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2 एस. सी. आर. 272; इंद्र सरमा बनाम। वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755: [2013] 14 एससीआर 1019; विजय सी. पुलजल बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2005) 4 सीटीसी 705 (बम); न्यू होराइजन्स शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। पांडिचेरी सरकार (2012) 10 एस. सी. सी. 575 [2012] 8 एस. सी. आर. 874; महाराष्ट्र राज्य बनाम

विजय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम। 63 चंद्रमा प्रौद्योगिकी

लिमिटेड।

सी. पुलजल (2012) 10 एस. सी. सी. 599; सोनल हेमंत जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 60; सोमा सुरेश

कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार (2013) 10

एससीसी 677: [2013] 10 एस. सी. आर. 328-संदर्भित।

ब्रायन ए गार्नर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी (11 संस्करण।

थॉमसन रॉयटर्स)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 18 एस. सी. सी. 401

पैरा

11 (xii)

संदर्भित किया गया है

[2012] 8 एससीआर 874

पैरा

13 (iii)

संदर्भित किया गया है

[2011] 3 एससीआर 527

पैरा

13 (iii)

संदर्भित किया गया है

[2017] 4 एससीआर 34

पैरा

13 (iii)

संदर्भित किया गया है

[2013] 6 एससीआर 32

पैरा

13 (iii)

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा

(14 ix बी)

[2013] 14 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पैरा

32

[2012] 8 एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

पैरा

55

(2012) 10 एस. सी. सी. 599

संदर्भित किया गया है

पैरा

56

(2012) 10 एस. सी. सी. 601

पैरा

56

संदर्भित किया गया है

[2013] 10 एससीआर 328

पैरा

56

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.274

49 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 22.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की रिट याचिका No.508 और 2018 की रिट याचिका No.1181 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

के साथ

2022 की सिविल अपील Nos.2750-51

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राहुल चिटनी

सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपा

सिद्धार्थ सिन्हा, तथागट शर्मा, सुश्री जाह्नवी प्रकाश, प्रशांत रॉ आदित्य मिश्रा, अभिषेक महाजन, सुश्री संजना सद्दी, भूषण शा सन्यत लोढ़ा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, अरविंद

लखावत, सुश्री प्रियंका वोरा, सुश्री मीशा रोहतगी, अमित भंडारी, सुश्री मानसी तनेजा, सुश्री आयुषी आमोद, करण वर्मा, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री अनिंदिता मित्रा, अखिल सच्चर, संग्राम सिंह, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, मैसर्स लीगल ऑप्शंस, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सामग्री

ए.

तथ्य।

3 *

प्रस्तुतियाँ।

बी.

.....17 *

विश्लेषण करें।

सी.

..25 *

ग. 1 एम. पी. आई. डी. अधिनियम की रूपरेखा।

..... 25 *

... ... 27 *

सी. 2 एन. एस. ई. की रूपरेखा

ग. 3 'जमा' और 'वित्तीय' की परिभाषाएँ

स्थापना ': धारा 2 (ग) और 2 (घ) की व्याख्या

एम. पी. आई. डी. अधिनियम।

40 *

..

....

.....

ग. 3.1 निपटान गारंटी निधिः जमा करें

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत।

सी. 3. 2 वस्तुओं की प्राप्तिः के तहत जमा करें

अधिनियम की धारा 2 (ग)। 49 *

C. 4 षड्यंत्र का खुलासा करना

..55 *

C. 4.1 द ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट... 55 *

सी. 4. 2 63 चंद्रमा निर्णय।

... . 56 *

ग. 5 एम. पी. आई. डी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता।

ग. 6 उच्च न्यायालय का निर्णय।

..71 *

1. अपील 22 अगस्त 2019 के एक फैसले से उत्पन्न होती है

बम्बई उच्च न्यायालय, जिसके द्वारा संलग्न कुछ अधिसूचनाएँ

महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम 1999 की धारा 4 के तहत प्रतिवादी की संपत्ति को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी के पास नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड 2 की हिस्सेदारी का 99.99% हिस्सा है। विवाद का मूल यह है कि क्या

1 " एमपीआईडी अधिनियम "

2“एन. एस. ई. एल. "* एड. ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

महाराष्ट्र राज्य v. 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. एस. ई. एल. धारा 2 (डी) के अर्थ में एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' है।

एम. पी. आई. डी. अधिनियम।

ए. तथ्य

2. एन. एस. ई. एल. कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे अब 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3 के रूप में जाना जाता है। 5 जून 2007 को, भारत संघ ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट 19524 की धारा 27 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें एन. एस. ई. एल. पर कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि के फॉरवर्ड संपर्कों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई। एन. एस. ई. एल. ने वस्तुओं में हाजिर व्यापार के लिए एक एक्सचेंज के रूप में काम करना शुरू किया। एन. एस. ई. एल. ने टी + 0 से टी + 36 दिनों तक की विभिन्न निपटान अवधि के साथ अपने व्यापारिक मंच पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए अनुबंध शुरू किए। टी 'व्यापार की तारीख को इंगित करता है, जो वह तारीख है जिस पर व्यापार हुआ था और + 0 या + 36, व्यापार दिवस के बाद के व्यावसायिक दिनों की संख्या को इंगित करता है जब वस्तु की डिलीवरी और मूल्य का भुगतान किया जाता है।

उसका दलाल विशिष्ट आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदना चाहता है। एन. एस. ई. एल. तब खरीदार और विक्रेता को जोड़ता है यदि खरीदार की आवश्यकता और विक्रेता के साथ उपलब्ध वस्तुओं के बीच कोई मिलान होता है। खरीदार और विक्रेता एक साथ टी + 2 और टी + 25 अनुबंध करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 'ए' (खरीदार) एक टन बासमती चावल खरीदना चाहता है, तो वह अपने दलाल के माध्यम से एनएसईएल के मंच पर व्यापार करेगा। मंच होगा यह पहचानें कि 'बी' (विक्रेता) के पास मात्रात्मक वस्तु बेचने का प्रस्ताव है। एन. एस. ई. एल. तब दोनों अनुबंधों का मिलान करेगा। अनुबंधों के मिलान की तारीख को व्यापार तिथि या 'टी' कहा जाता है। 'क' को तब एन. एस. ई. एल. को वस्तु की कीमत का भुगतान करना होगा, जो यह जांचता है कि 'ख' ने दो दिनों के भीतर डिलीवरी के लिए एन. एस. ई. एल. को मान्यता प्राप्त गोदाम में स्टॉक जमा किया है या नहीं। एक बार जब एन. एस. ई. एल. पुष्टि कर लेता है कि 'बी' ने गोदाम में स्टॉक जमा कर दिया है, तो वह पैसे को 'बी' में स्थानांतरित कर देता है। साथ ही, वही पक्ष एक टी + 25 अनुबंध में प्रवेश करते हैं जिसके द्वारा 'ए' (जो टी + 2 अनुबंध में खरीदार था) 'बी' (जो था) को खरीदी गई वस्तु की समान मात्रा बेच देगा।

3 " एफ. सी. आई. एल. या 63 चंद्रमा "

एफसीआरए "[2022] 10 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. टी + 2 अनुबंध में विक्रेता)। खरीदार के बीच का अंतर

एस. टी. और बिक्री लागत वह लाभ है जो व्यापारिक सदस्य प्राप्त करता है

व्यापार को खराब करें। इनसैक्शन के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला एक प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

टी + 2

वस्तु विक्रेता

पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

में वस्तु जमा करता है

एन. एस. ई. एल. के समझौते से

एनएसईएल मान्यता प्राप्त

विक्रेता के खाते में

गोदाम

निपटान खाता

एनएसईएल

पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

गोदाम रसीद जारी करें

दलाल से

और इसे प्रदर्शित करता है

विनिमय टर्मिनल

निपटान खाता

एनएसईएल का समझौता खाता

दलाल

की ओर से आदेश देता है

दलालों को पैसे दें

खरीदने के लिए निवेशक

वस्तु

टी + 25

निवेशक

टी + 2 पर खरीदी गई उसी वस्तु को

वापस बेचता है

वस्तु विक्रेता

एन. एस. ई. एल. वस्तु विक्रेता को

भुगतान करता है।

एनएसईएल

विक्रेता का दलाल एन. एस. ई. एल. को

महाराष्ट्र बनाम टी. ई. की वस्तु की बिक्री के लिए भुगतान करता है।

63 चंद्रमा प्रौद्योगिकी टीडी। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]युग्मित अनुबंधों की विस्तृत चरणबद्ध व्यापार प्रक्रिया है -

: निम्नः

एन. एस. ई. एल. के एक व्यापारिक सदस्य जो प्लेटफॉर्म में व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें एन. एस. ई. एल. को मान्यता प्राप्त गोदाम में वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा रखने की आवश्यकता होती है। गोदाम तब एक गोदाम रसीद उत्पन्न करेगा;

पंजीकृत व्यापारिक सदस्य या उसका दलाल जिसने अपनी वस्तु को गोदाम में रखा था, एन. एस. ई. एल. द्वारा प्रस्तावित मानक प्रोफार्मा अनुबंधों के आधार पर मंच पर वस्तु की बिक्री के लिए प्रस्ताव रख सकता है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि

प्रस्तावित कीमत और मात्रा;

क्रय व्यापारी सदस्य या उसका दलाल एन. एस. ई. एल. पर किसी विशेष वस्तु और मात्रा के खरीद आदेशों को इनपुट करेगा।

व्यापार मंच;

जब एक बिक्री प्रस्ताव और एक खरीद प्रस्ताव मेल खाते हैं, तो विनिमय

एन. एस. ई. एल. द्वारा मिलान किया जाएगा, वस्तु को निर्धारित करते हुए,

कीमत और मात्रा; एक्सचेंज प्रभावित सभी लेन-देनों को सूचित करेगा।

दिन के अंत में;

अगले दिन (यानी, निपटान तिथि), एन. एस. ई. एल. खरीदार सदस्य के भुगतान की राशि के लिए व्यापारिक सदस्य के निर्दिष्ट निपटान खाते से भुगतान करेगा और इसे एन. एस. ई. एल. के विनिमय निपटान खाते में जमा किया जाएगा। एन. एस. ई. एल. का संचालन विभाग सूचित करेगा एन. एस. ई. एल. का बिक्री सदस्य का वितरण विभाग

वितरण दायित्व। इस सूचना के आधार पर एन. एस. ई. एल.

यदि गोदाम के अनुसार विशेष वस्तु की आवश्यक मात्रा उपलब्ध है तो वितरण विभाग संचालन विभाग को पुष्टि करेगा। रसीदें। इस तरह की पुष्टि के बाद, संचालन

विभाग बिक्री दलाल के निर्दिष्ट बैंक खाते में खरीद मूल्य जारी करेगा। साथ ही, खरीदार के [2022] 10 एस. सी. आर. को एक वितरण आवंटन रिपोर्ट जारी की जाएगी।

दलाल या खरीदार उसे सूचित करता है कि वस्तु खरीदा गया उसे आवंटित किया गया था; और

(viii) एन. एस. ई. एल. तब खरीदार का विवरण बेचने वाले को भेजेगा।

व्यापारिक सदस्य और बेचने वाला व्यापारिक सदस्य गैर-सदस्य ग्राहक/विक्रेता के लिए वैट उत्पन्न करने की व्यवस्था करें

वस्तु का भुगतान किया हुआ बिक्री चालान। के आधार पर

निर्दिष्ट गोदाम से वितरण। अगर खरीदार चुनता है डिलीवरी न लेने के लिए, उसे रचनात्मक रूप में रखा जाएगा

उस वस्तु का कब्जा जहाँ वह हकदार होगा

किसी भी समय कब्जा कर लें।

5. 27 अप्रैल 2012 को उपभोक्ता मामले विभाग ने 3 जारी किया।

छूट अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए लेन-देन की अनुमति देने के लिए एन. एस. ई. एल. के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, इस बारे में एन. एस. ई. एल. को कारणदर्शक नोटिस। 12 जुलाई 2012 को, डी. सी. ए. ने एन. एस. ई. एल. को एक वचन देने का निर्देश दिया कि अगले निर्देशों तक कोई अनुबंध शुरू नहीं किया जाएगा, और सभी मौजूदा अनुबंधों को नियत तारीखों पर निपटाया जाना चाहिए। जुलाई 2013 में, एन. एस. ई. एल. के प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले लगभग 13,000 व्यक्तियों ने दावा किया कि अन्य व्यापारिक सदस्यों ने लगभग 5600 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की थी। एन. एस. ई. एल. ने 31 जुलाई 2013 को अपने स्पॉट एक्सचेंज को निलंबित करते हुए एक परिपत्र जारी किया।

संचालन। इसमें कहा गया है कि सभी लंबित अनुबंधों की डिलीवरी और निपटान का विलय किया जाएगा और अनुबंधों का निपटान 15 दिनों की समाप्ति के बाद किया जाएगा। एन. एस. ई. एल. ने 6 अगस्त 2013 को एक बयान प्रकाशित किया

यह दर्शाता है कि इसके गोदामों में 6,032 करोड़ रुपये मूल्य के पर्याप्त स्टॉक थे। एन. एस. ई. एल. द्वारा 14 अगस्त 2013 को एक नए वेतन-अनुसूची की घोषणा की गई थी जिसके द्वारा एक्सचेंज ने वेतन-अनुसूची की शुरुआत की थी।

16 अगस्त 2013 से और 20 अगस्त 2013 से भुगतान अनुसूची, हर सप्ताह इसी तरह से। यह भी प्रतिनिधित्व किया गया कि सदस्य 16 अगस्त 2013 से निपटान कैलेंडर के अंत तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की घटती शेष राशि पर अपने बकाया पर सरल ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे। अधिसूचना नीचे निकाली गई है:

" नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड

5 " डी. सी. ए. ई. महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निपटान अनुसूची

नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, बाय-एक्सचेंज के कानून और व्यवसाय नियम और आगे परिपत्र सं। एन. एस. ई. एल./टी. आर. डी./2013/065/दिनांक 31 जुलाई 2013 को एक्सचेंज के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एक्सचेंज ने निम्नलिखित को अंतिम रूप दे दिया है:

देय बकाया के निपटान के लिए संशोधित अनुसूची

सदस्यों को। यह अनुसूची व्यापार संचालन के अचानक बंद होने से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं, बैंकों द्वारा खरीदारों की ऋण सीमा को वापस लेने से उत्पन्न तरलता की समस्या, जो वेतन में हैं, और जिन सदस्यों को भुगतान पूरा करना है और जिन सदस्यों को भुगतान प्राप्त करना है, उनके द्वारा की गई व्यापक चर्चा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भुगतान सूची में कमी सुनिश्चित करने और निपटान दायित्व को पूरा करने के लिए निपटान की संशोधित अनुसूची तैयार की गई है:

एक्सचेंज पे-इन शेड्यूल शुरू करेगा।

1 .

शुक्रवार, 16 अगस्त, 2013 और भुगतान-मंगलवार, 20 अगस्त, 2013 से और उसके बाद उसी तरीके से

हर सप्ताह।

विनिमय प्रभावी रूप से प्रत्येक वर्ष अनुपात के आधार पर भुगतान करेगा।

2 .

सप्ताह इसके साथ संलग्न निपटान कैलेंडर के अनुसार बरामद धन पर आधारित है। ये भुगतान विषयगत हैं।

सदस्यों के चेक की प्राप्ति के लिए, जिन्हें करना होगा

पूरा भुगतान करें। यदि कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो एक्सचेंज अपने नियमों और उपनियमों के अनुसार उपाय करेगा।

से शुरू होकर हर सप्ताह शुक्रवार तक सभी धन की प्राप्ति होती है।

3 .

16 अगस्त, 2013 को मंगलवार को वितरित किया जाएगा

अगले सप्ताह।

अनुसूची में सभी वादों को ध्यान में रखा गया है या

4 .

जिन सदस्यों ने पद दिया है, उनसे अपेक्षित भुगतान

दिनांकित चेक या प्रतिबद्धता पत्र।

सदस्य/ग्राहक अपने खाते पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5 .

निपटान कैलेंडर के अंत तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की सरल ब्याज दर के आधार पर शेष राशि को कम करने की विधि पर 16 अगस्त 2013 से बकाया राशि। ब्याज

राशि का भुगतान निपटान के अंत में किया जाएगा।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6 .

एक विस्तृत निपटान कैलेंडर इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। के लिए और उसकी ओर से

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड

संतोष मानसिंह

आसिस्टेंट। उपाध्यक्ष "

6. 19 सितंबर 2014 की एक अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2008 को दी गई छूट को वापस ले लिया। द.

अग्र बाजार आयोग ने डी. सी. ए. को सिफारिश की कि मान्यता प्राप्त गोदामों में वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता, खरीदारों और व्यापारिक सदस्यों की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए कदम उठाए जाएं और एन. एस. ई. एल. के प्रवर्तकों पर देयता तय की जाए। अर्थात 63 चंद्रमा। 27 अगस्त 2013 को, एफ. एम. सी. ने ग्रांट थॉर्नटन एल. एल. पी. द्वारा एन. एस. ई. एल. के फोरेंसिक ऑडिट का निर्देश दिया। भारत संघ ने कंपनी अधिनियम की धारा 209 ए के तहत एन. एस. ई. एल. और 63 चंद्रमाओं के खातों के निरीक्षण का आदेश दिया। आर्थिक अपराध शाखा ने निदेशकों और प्रमुख के खिलाफ मामले दर्ज किए

एन. एस. ई. एल. और 63 चंद्रमाओं के प्रबंधन कर्मियों और भारतीय दंड संहिता और एम. पी. आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एन. एस. ई. एल. के व्यापारिक सदस्यों और दलालों के खिलाफ।

7. पंकज रामनरेश सराफ, वोस्ताक फार ईस्ट के निदेशक

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी, 409,465,468,471,474 और 477 ए के तहत। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह मुख्य रूप से टी + 2 और टी + 25 अनुबंधों में लेनदेन कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि एन. एस. ई. एल. ने पंद्रह दिनों तक सभी एक दिवसीय अग्रिम अनुबंधों के व्यापार और स्थगित निपटान को निलंबित कर दिया था, इसलिए उन्हें विभिन्न अनुबंधों के तहत 202 लाख रुपये का भुगतान नहीं मिला था। 14 अगस्त 2013 को, उन्हें उनके दलाल द्वारा सूचित किया गया कि एन. एस. ई. एल. ने सात महीने के बाद बकाया राशि के भुगतान के लिए एक निपटान अनुसूची जारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वस्तुओं का व्यापार 'गैर-मौजूद वस्तुओं' की 'झूठी' गोदाम रसीदें प्रदान करके किया जाता था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि एन. एस. ई. एल. ने जमाकर्ताओं (खरीदारों) की ओर से 'ट्रस्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त गोदामों में वस्तुओं को रखा और यह कि गबन एक आपराधिक उल्लंघन है। 6 " एफएमसी "

1 2013 का एफ. आई. आर. सं. 216 महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विश्वास की। उपरोक्त के अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एन. एस. ई. एल. द्वारा निपटान गारंटी निधि का दुरुपयोग किया गया था।

8. बाद में एफ. आई. आर. को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। मामला दर्ज किया गया और एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 3 और 4 को एफ. आई. आर. में जोड़ा गया। मामला एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दिया गया था। 10 एन. एस. ई. एल. ने एक रिट दायर की एम. पी. आई. डी. अधिनियम के आह्वान को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका कि विनिमय अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' नहीं है। 1 अक्टूबर 2015 के एक आदेश द्वारा, याचिका को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया गया थाः

((i)

के दौरान ईओडब्ल्यू द्वारा एकत्र की गई सामग्री

जांच से पता चला कि एन. एस. ई. एल. ने अपने विनिमय कार्यों को उपनियमों के अनुसार नहीं किया। यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट था कि एन. एस. ई. एल. ने व्यापारियों का प्रतिनिधित्व किया कि उन्हें प्रतिभूति मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रति वर्ष 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत का निश्चित रिटर्न प्राप्त होगा।

अभिलेख इंगित करता है कि लेन-देन नहीं थे

((ख)

माल की भौतिक डिलीवरी के साथ। कई मामलों में एन. एस. ई. एल. और माल के आपूर्तिकर्ताओं के खातों का मिलान नहीं हुआ। रिकॉर्ड से यह भी संकेत मिलता है कि एन. एस. ई. एल. और एन. एस. ई. एल. के बीच मिलीभगत के कारण कई आवास प्रविष्टियां थीं। व्यापारिक सदस्य;

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (डी) वित्तीय स्थिति को परिभाषित करती है।

(iii)

किसी योजना के तहत किसी भी जमा को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में 'प्रतिष्ठान'। एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) 'जमा' शब्द की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करती है। चूंकि एन. एस. ई. एल. ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि युग्मित अनुबंधों में उनके निवेश से उन्हें प्रति वर्ष 14 से 16 प्रतिशत का लाभ मिलेगा, इसलिए प्रतिफल की प्राप्ति प्रथम दृष्टया निम्नलिखित परिभाषा के अंतर्गत आएगीः

' जमा '; और

((iv) एक आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। एन. एस. ई. एल. के पास निचली अदालत के समक्ष आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन करने का एक वैकल्पिक उपाय है।

8 " एसजीएफ "

9 " ई. ओ. डब्ल्यू. 10 मामला 2014 [2022] 10 एस. सी. आर. के एम. पी. आई. डी. केस 1 के रूप में दर्ज किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. महाराष्ट्र राज्य ने 21 सितंबर 2016 को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की।

उत्तरदाता संलग्न थे। अधिसूचना का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

" नहीं। एमपीआई 2016/C.R.541/बी/पोल II: - जबकि मेसर्स ला-फिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कई जमाकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लिमिटेड और मेसर्स ला-फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (इसके बाद "उक्त वित्तीय प्रतिष्ठान" के रूप में संदर्भित) ने शिकायत की कि उन्होंने निधि एकत्र की थी और मांग पर जमाकर्ताओं द्वारा की गई उक्त जमा राशि को वापस करने में चूक की है;

जबकि, राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त वित्तीय प्रतिष्ठान और उसके अध्यक्ष/निदेशकों के जमाकर्ताओं को जमा राशि वापस करने की संभावना नहीं है और इसलिए सरकार

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करनी है;

और जबकि अनुसूचित में संपत्तियाँ यहाँ संलग्न की गई हैं

कथित वित्तीय द्वारा अधिग्रहित किए जाने का आरोप है वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा एकत्र की गई जमा राशि से और उससे बाहर प्रतिष्ठान और उसके अध्यक्ष/निदेशक;

अब, इसलिए, धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 और महाराष्ट्र जमा ब्याज संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान में) अधिनियम, 1000 (माह) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 2000 का XVI) (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) महाराष्ट्र सरकार एतद्वारा उक्त वित्तीय प्रतिष्ठान की संपत्तियों को कुर्क करती है और

अनुसूची में निर्दिष्ट इसके अध्यक्ष/निदेशक।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 को खारिज कर दिया

वापस ले लिया गया, बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका। अपीलकर्ताओं ने इसके समक्ष एक रिट याचिका दायर की बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी, जो प्रतिवादी की संपत्तियों को कुर्क करने वाले एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी की गई थी। एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 और 5 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 300-ए का उल्लंघन करते हैं। रिट याचिका में मांगी गई राहत नीचे दी गई है:

" ए। माननीय न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 और 5 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती हैं।

और संविधान का अनुच्छेद 300-ए और इसके परिणामस्वरूप एक मैंडमस का लेखन और/या कोई अन्य उपयुक्त लेखन, आदेश या

प्रत्यर्थी के लेखन, आदेश या निर्देश को रोकने का निर्देश प्रत्यर्थी, उसके कर्मचारियों और/या एजेंटों को कार्य करने से रोकना

उन प्रावधानों के अनुसरण में;

बी। उपरोक्त प्रार्थना ए को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और इसे रद्द कर दें।

विवादित अधिसूचना दिनांक 21.09.2016 (प्रदर्शनी-S होने के नाते)

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4: सी। वैकल्पिक रूप से, प्रकृति में एक लिखित आदेश या निर्देश जारी करें।

प्रमाण पत्र या कोई अन्य उपयुक्त लेखन, आदेश या निर्देश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करना और अलग करना

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 और 5 के अधिकार से बाहर होने के रूप में 21.09.2016 की अधिसूचना।

11. महाराष्ट्र राज्य ने 4 अप्रैल 2018 1,7 अप्रैल 2018 1,2,11 अप्रैल 2018 1,3,19 अप्रैल 2018 1,4,15 मई 2018 1,5 और 19 अक्टूबर 201816 को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी की। रिट याचिकाओं को एक साथ सुना गया और एक प्रभाग द्वारा निपटाया गया बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने 22 अगस्त 2019 को एक निर्णय दिया। याचिका को निम्नलिखित आधारों पर अनुमति दी गई थीः

(1)

खरीदार से प्राप्त भुगतान राशि केवल इसके लिए थी

उसी तारीख को इसे विक्रेता को देने का उद्देश्य। यह राशि एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के दायरे में नहीं आएगी, जिसके संदर्भ में 'जमा' किसी मूल्यवान वस्तु की रसीद या स्वीकृति होनी चाहिए, जिसे वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा बाद में 'चुकाया' जाएगा।

एक निर्दिष्ट अवधि;

((ख)

एन. एस. ई. एल. ने एक तरह से केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के समान। एन. एस. ई. एल. ने नहीं

1 3 अधिसूचना सं। एमपीआई-1118/सी. आर. 434 / पोल 11 को 19 अप्रैल 2018 को एम. पी. आई. संख्या 1118/सी. आर.-434/पोल 11 वाले शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा गया। 14 अधिसूचना सं। एमपीआई 1118/सी. आर. 4999 पोल 11 15 अधिसूचना सं। एमपीआई-1118/सी. आर. 597 / पोल 11 16 अधिसूचना सं। एमपीआई 1118/सीआर 1040/पोल 11 [2022] 10 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

परिपक्वता पर इसे वापस करने के दायित्व के साथ धन प्राप्त करें। यह तथ्य कि विक्रेता सदस्यों द्वारा खरीद सदस्यों से वैट एकत्र किया जाता है और एन. एस. ई. एल. द्वारा टी. डी. एस. की कटौती नहीं की जाती है, यह इंगित करता है कि एन. एस. ई. एल. केवल एक पास थ्रू प्लेटफॉर्म है। अनुबंध नोटों में यह खुलासा नहीं किया गया है कि एन. एस. ई. एल. को सुनिश्चित रिटर्न के साथ कोई पैसा या वस्तु मिली है। बल्कि,

खरीद अनुबंध और बिक्री अनुबंध के बीच का अंतर वह लाभ है जो सदस्य को प्राप्त होता है। लेन-देन से लाभ का निर्धारण दो राशियों को मिलाकर उन दिनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जब वस्तु बेची गई थी और भुगतान निर्धारित किया गया था। यह उस अवधि के आधार पर विभिन्न उत्पादों के साथ भिन्न होता है जब बिक्री अनुबंध (जो कि दूसरा अनुबंध है) निर्धारित किया जाता है।

व्यापारियों के खाते में प्रविष्टियाँ वितरण दायित्व को दर्शाती हैं और व्यापार के अनुसार क्रेडिट/डेबिट को दर्ज करती हैं। एन. एस. ई. एल. के निपटान बैंक खाते की प्रविष्टियाँ दर्शाती हैं कि किसी विशेष व्यापारी से प्राप्त राशि। पे-इन और पे-आउट की प्रविष्टियाँ व्यक्तिगत व्यापारियों के खाता बही से मेल खाती हैं।

श्री पंकज सराफ ने अपनी प्राथमिकी में यह नहीं कहा है कि उन्होंने एन. एस. ई. एल. में धन जमा किया है। उन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्म पर व्यापार तब तक सफल रहा जब तक कि आगे के व्यापार बंद नहीं हो गए।

लेन-देन गलत हो गया था क्योंकि जैसा कि एन. एस. ई. एल. को कारण दर्शाओ नोटिस में दर्शाया गया है, व्यापार के परिणामस्वरूप दिन के अंत तक डिलीवरी नहीं हुई। 31 जुलाई 2013 के बाद, 24 विक्रेता टी + 25 पर वस्तुओं को वापस खरीदकर समझौते के अपने हिस्से का सम्मान करने में विफल रहे।

दिन होते हैं। इसे दी गई छूट के उल्लंघन के रूप में देखा गया। हालाँकि, इससे यह तथ्य नहीं बदलता है कि एन. एस. ई. एल. को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर कोई 'जमा' प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि एन. एस. ई. एल. को यह राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

'जमा' के रूप में माना जाता है; ई. ओ. डब्ल्यू. ने 4 अगस्त 2014 को एक आरोप पत्र दायर किया जिसमें कहा गया था कि विनिमय की महत्वपूर्ण विशेषता स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम है।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कि यह गारंटी देता है कि दोनों पक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करेंगे और यदि व्यापारिक सदस्य भुगतान करने में असमर्थ है, तो एक्सचेंज माल बेचेगा और वसूली करेगा। पैसा। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि एन. एस. ई. एल.

निवेशकों को गोदामों में वस्तुओं को जमा किए बिना अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, आरोप पत्र से यह स्पष्ट होता है कि ईओडब्ल्यू भी

राय है कि विनिमय केवल एक के रूप में कार्य कर रहा था लेन-देन एजेंट। इसके अलावा एफ. एम. सी. से 16 अगस्त 2013 को एक पत्र के माध्यम से एन. एस. ई. एल. द्वारा चूककर्ताओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

viii) केवल इसलिए कि विवरणिकाओं में से एक 14 से 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की सुनिश्चित उपज को संदर्भित करता है, यह नहीं माना जा सकता है कि एक 'जमा' था

बनाया गया;

ix) यदि एन. एस. ई. एल. और आपूर्तिकर्ताओं के खातों में मिलान नहीं होता है और वस्तुओं की डिलीवरी प्रदान नहीं की गई है, तो यह आई. पी. सी. की धारा 465 और 467 के तहत अपराध हो सकता है। एन. एस. ई. एल. इनमें से किसी भी देनदारी से मुक्त नहीं है।

सबसे अधिक, क्योंकि सदस्यों को भुगतान करना पड़ता था

x)

टी + 25 पर देय राशि, उन्हें एक के रूप में माना जा सकता है

' वित्तीय प्रतिष्ठान ';

xi) गोदाम की रसीदें लेन-देन की प्रकृति को स्थापित नहीं करती हैं और न ही यह माना जा सकता है कि वस्तुओं की जमा राशि 'जमा' की परिभाषा के दायरे में आएगी।

चूंकि वह वस्तु जिसे गोदाम में जमा किया जाना था

विक्रेता द्वारा बेचा जाना था;

xii) 63 चंद्रमाओं में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

प्रौद्योगिकी बनाम। भारत संघ 1 7 में कोई नहीं है

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत शुरू की गई संपत्तियों की कुर्की वैध है या नहीं;

xiii) 17 चूककर्ता कंपनियों की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है

कि चूककर्ताओं ने धन का उपयोग किया है और

उन्हें उनकी बहन कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया;

xiv) गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित चूक करने वाले व्यापारिक सदस्यों में से एक के एक अन्य मामले में, उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार

व्यापारिक सदस्य को एक 'चूककर्ता' के रूप में संदर्भित किया गया था जिसने धारा 409,465,467,468 के तहत अपराध किए थे।

471 और आई. पी. सी. की धारा 474;

(xv) यह तर्क कि एमपीआईडी अधिनियम की धारा 4 होनी चाहिए

प्रावधानों के 'व्यापक दायरे' को देखते हुए पढ़ें

जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, उसे के. के. भास्करन बनाम में उच्चतम न्यायालय के बाद से खुला छोड़ दिया गया है। राज्य और सोनल हेमंत जोशी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य ने तमिलनाडु और पांडिचेरी में जमाकर्ता अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि निर्णय जमाकर्ता अधिनियमों पर भी लागू होगा।

एम. पी. आई. डी. अधिनियम चूंकि प्रावधान समान हैं;

(xvi) 24 अक्टूबर 2018 को एक अंतरिम आदेश द्वारा, विवादित

संपत्तियों को संलग्न करने वाली अधिसूचनाओं को इस आधार पर रोक दिया गया था कि कुर्की चूक की गई राशि से अधिक थी। अंतरिम आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि चूक की गई राशि रु। 4822.53 जबकि अधिकारियों ने करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। 8547 रुपये सहित करोड़। 2200 एन. एस. ई. एल. से करोड़। इस आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है; और

(xvii) यू. एस. गांधी एंड कंपनी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में उन व्यापारिक सदस्यों के व्यापार दायित्वों का पता लगाया गया है जो चूककर्ता हैं।

एन. एस. ई. एल. ने इसके खिलाफ वसूली के मुकदमे भी दायर किए हैं।

ऋण चुकाने वाले।

B. प्रस्तुतियाँ

12. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयंत मेहता ने कहाः

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) में जमा की परिभाषा

((i)

व्यापक और समावेशी है। प्रावधान की व्याख्या की जानी चाहिए कानून के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों के बयान को व्यापक रूप से ध्यान में रखते हुए;

((ख)

एन. एस. ई. एल. ने विक्रेता से पैसे प्राप्त किए और उसे वापस कर दिया। प्रकार (वस्तुओं के माध्यम से)। एन. एस. ई. एल. ने विक्रेता से वस्तुएँ प्राप्त कीं और एक निर्दिष्ट अवधि के बाद नकद में समतुल्य राशि वापस कर दी। इसलिए एन. एस. ई. एल. ने जमा राशि स्वीकार की।

विक्रेता और खरीदार दोनों से; एक युग्मित अनुबंध के माध्यम से, खरीदार सदस्य एक खरीद लेगा

(iii)

खरीद अनुबंध और साथ ही एक बिक्री अनुबंध टी. ई. महाराष्ट्र बनाम को बेचना।

63 चंद्रमा प्रौद्योगिकी टीडी। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

एन. एस. ई. एल. द्वारा युग्मित। एन. एस. ई. एल. द्वारा खरीद पर 14-16% का वार्षिक प्रतिफल देने के लिए बिक्री मूल्य पूर्व निर्धारित किया गया था।

सदस्य;

एन. एस. ई. एल. नकदी (खरीदार की ओर से) और नकदी दोनों का आधार है।

मूल्यवान वस्तुएँ (विक्रेता के अंत में);

एमपीआईडी अधिनियम। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो इससे व्यथित है धारा 10 के तहत नामित न्यायालय का आदेश कर सकता है

60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील

निपटान चक्र टूट गया क्योंकिः (अ)

वस्तुओं का भंडारण करें। खरीदार सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या वस्तुएँ थीं भंडारित; और

(ख)

खरीदार सदस्य को एक युग्मित अनुबंध का लालच दिया गया था। इस आश्वासन पर कि वस्तु में

गोदाम एक प्रतिभूति का गठन करेगा और एन. एस. ई. एल. प्रति-गारंटर होगा। हालांकि, एन. एस. ई. एल. ने बिक्री करने वाले सदस्यों के साथ सांठगांठ की और यह सुनिश्चित किए बिना व्यापार की सुविधा प्रदान की कि जिंसों की कीमत कम है।

गोदामों में जमा किया।

राज्य की ओर से उपस्थित ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दींः

एन. एस. ई. एल. एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत एक वित्तीय प्रतिष्ठान है क्योंकि इसने धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित जमा को स्वीकार किया है। एन. एस. ई. एल. 'किसान' अनुबंधों, युग्मित अनुबंधों, ई-श्रृंखला अनुबंधों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार कर रहा है। एन. एस. ई. एल. ने निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न की गारंटी दी;

गोदाम रसीदों का प्रावधान

रिटर्न का आश्वासन इंगित करता है कि एन. एस. ई. एल. स्वीकार कर रहा था।

(iii)

न्यू होराइजन शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय।

पांडिचेरी सरकार ने माना है कि राज्य

विधायिका वित्तीय मामलों पर कानून बनाने में सक्षम है। निवेशकों की सुरक्षा के उद्देश्य के साथ प्रतिष्ठान। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 'वित्तीय प्रतिष्ठान' अभिव्यक्ति

इसमें एक कंपनी जैसे प्राकृतिक और न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम के तहत निगमित। इस अदालत ने कहा है कि

के. के. भास्करन बनाम। राज्य 1, राज्य बनाम। केएस पलानीचामी, 20 और पीजीएफ बनाम। भारत संघ 2 1 21 ने कहा कि वित्तीय प्रतिष्ठानों को विनियमित करने वाले कानून का उद्देश्य निवेशकों की रक्षा करना है। इसलिए, इस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए।

(iv) इस न्यायालय ने 63 मून्स टेक्नोलॉजीज (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया कि

एन. एस. ई. एल. ने वस्तुओं में युग्मित अनुबंधों में व्यापार किया और इससे बिक्री और खरीद लेनदेन से अलग वित्तीय लेनदेन हुए; और

(v)

प्रत्यर्थी के पास एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 10 के तहत।

14. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील

एनडेंट ने प्रस्तुत किया किः

(i) वस्तु विक्रेताओं को खरीदारों से पैसे मिलते थे।

टी + 25 पर पैसे चुकाने की बाध्यता के साथ टी + 2। एन. एस. ई. एल. ने चूककर्ताओं के खिलाफ आदेश प्राप्त किए। इसलिए, उच्चतम स्तर पर, अपीलकर्ता केवल यह तर्क दे सकते हैं कि चूक करने वाले व्यापार सदस्य (एन. एस. ई. एल. नहीं) 'वित्तीय प्रतिष्ठान' हैं;

((ख)

राज्य ने सदस्य चूककर्ताओं की विशेषता बताई है

गृह द्वारा जारी अधिसूचनाओं में 'चूककर्ता कंपनियों' और 'वित्तीय प्रतिष्ठान' के रूप में विनिमय करें

विभाग ने 31 मार्च 2017 और 24 मार्च 2018 को जो

यह इंगित करता है कि एन. एस. ई. एल. चूककर्ता नहीं है;

(111) ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे धन के निशान का पता चूक करने के लिए लगाया गया है।

सदस्य। एन. एस. ई. एल. को 'जमा' के रूप में कोई पैसा नहीं मिला;

1) 3 एस. सी. सी. 7937) 16 एस. सी. सी. 384

5) 13 महाराष्ट्र का एस. सी. सी. 50 टी. ई. बनाम। 63 चंद्रमा प्रौद्योगिकी टीडी। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

महाराष्ट्र राज्य एक मामले में जो पहले से लंबित है

सदस्यों में से एक से संबंधित गुजरात उच्च न्यायालय

(खरीदार) ने हलफनामे पर प्रस्तुत किया कि चूक करने वाले सदस्यों ने निवेशकों को धोखा दिया है; भले ही विवादित फैसले को बरकरार रखा जाए, एन. एस. ई. एल. आई. पी. सी. के तहत अपने आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा, लेकिन कोई आपराधिक नहीं होगा।

एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत देयता उत्पन्न होती है। . एनएसईएल और 63 चंद्रमा

विभिन्न अन्य आपराधिक कार्यवाही में मुकदमा चलाया जा रहा है।

उन्हें दीवानी मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा।

रुपये के वर्तमान बकाया दावे के विपरीत। 4,676 करोड़,

रुपये से अधिक की संपत्ति। 6000 करोड़ रुपये संलग्न हैं; एन. एस. ई. एल. केवल धन की वसूली करने के लिए बाध्य है।

ऋण चुकाने वाले। इसने आदेश/मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त किए हैं रु. की धुन। 3,397 सदस्यों से करोड़। द बॉम्बे

उच्च न्यायालय ने दायित्व के निर्धारण को स्वीकार कर लिया है

रु. 136.98 समिति द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ करोड़ रुपये

उसके द्वारा नियुक्त। समिति ने इसे और स्पष्ट कर दिया है रुपये का दायित्व। 760 चूककर्ताओं से करोड़ जो है

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति लंबित है; एन. एस. ई. एल. ने आदेशों के निष्पादन के लिए कार्यवाही दायर की है।

और पाँच राज्यों में चूककर्ताओं के खिलाफ पुरस्कार। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लग रहा है, इसलिए एन. एस. ई. एल. ने पहले एक याचिका दायर की थी।

निष्पादन कार्यवाही; एन. एस. ई. एल. को कोई 'जमा' प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि धारा के तहत परिभाषित किया गया है।

2 (ग) एम. पी. आई. डी. अधिनियम सेः

(अ)

आक्षेपित अधिसूचनाएँ जिनके द्वारा संपत्ति प्रतिवादी की धारा 4 के तहत संलग्न की गई थी

एम. पी. आई. डी. अधिनियम केवल इस आधार पर आगे बढ़ता है कि एन. एस. ई. एल. ने धन स्वीकार किया जिसे वह वापस करने में विफल रहा और इस पर स्थापित जमा का कोई संदर्भ नहीं है।

वस्तुओं की स्वीकृति;

सरकार कारणों में सुधार नहीं कर सकती

(ख)

एक बाद के हलफनामे द्वारा (मोहिंदर पर निर्भर)

सिंह गिल बनाम। सी. ई. सी. 2 3) और

995 2019 का

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) 'जमा' की परिभाषा के अनुसार

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) में केवल 'मूल्यवान' वस्तु की जमा राशि शामिल है। आम तौर पर

बोलचाल की भाषा में, मूल्यवान वस्तुएँ होंगी

सोना, चांदी या अन्य कीमती धातुओं तक सीमित। एन. एस. ई. एल. केवल कृषि जिंसों और इस्पात में कारोबार करता था। कृषि वस्तुओं को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

(x)

एन. एस. ई. एल. के मंच पर भाग लेने वाले व्यापारी हैं - कॉर्पोरेट व्यापारी। उद्देश्यों और कारणों का कथन

एम. पी. आई. डी. अधिनियम में कहा गया है कि अधिनियम की सुरक्षा के लिए है

' छोटे जमाकर्ता;

(xi) एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत कार्यवाही शॉर्ट सर्किट होगी।

एन. एस. ई. एल. और दोनों के खिलाफ लंबित दीवानी मुकदमों में मुकदमे

63 चंद्रमा। 63 मूनस एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें और भी बहुत कुछ है।

50, 000 से अधिक शेयरधारक, 800 कर्मचारी और 20 लाख उपयोगकर्ता। यदि 63 चंद्रमाओं की संपत्ति कुर्क की जाती है, तो

हितधारकों को पूर्वाग्रह होगा; और

(xii) एन. एस. ई. एल. का किसी भी धन पर नियंत्रण नहीं था।

उसी पर काउंटर पार्टी के दलालों को पैसे भेजे गए थे एक दिन।

15. श्री मुकल रोहतगी, वरिष्ठ वकील, की ओर से पेश हुए

आई. एन. टी. ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

((i)

एन. एस. ई. एल. स्टॉक के समान एक कमोडिटी एक्सचेंज चलाता है।

विनिमय करें। एन. एस. ई. एल. केवल लेन-देन का माध्यम है और न ही 'जमा' एकत्र करता है और न ही यह वापसी का आश्वासन देता है;

एन. एस. ई. एल. को रुपये का कमीशन मिलता है। 100 प्रति एक लाख

((ख)

व्यापारियों से व्यापार मूल्य (0.1%);

(iii)

भास्करन में, (ऊपर) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तमिलनाडु जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय मामलों में)

प्रतिष्ठान) अधिनियम 199724 संवैधानिक रूप से मान्य है। में।

फैसले के पैराग्राफ 15 में अदालत ने कहा कि हालांकि

तमिलनाडु अधिनियम और एम. पी. आई. डी. में मामूली अंतर हैं,

निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण वैधता पर समान रूप से लागू होगा।

तमिलनाडु अधिनियम "महाराष्ट्र का अधिनियम v. 63 चंद्रमा प्रौद्योगिकी टीडी। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कानून के प्रावधानों की जांच किए बिना अनुच्छेद 14,19 और 21 का आधार। इसलिए, वर्तमान मामले में न्यायालय संवैधानिक की जांच करने से वंचित नहीं है एमपीआईडी अधिनियम के प्रावधानों की वैधता;

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 मनमानी और संवैधानिक है। अमान्य है और यह अति-चौड़ाई से ग्रस्त हैः

धारा 4 की उप-धारा (1) 'उक्त वित्तीय प्रतिष्ठान के प्रवर्तक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्य' की संपत्ति की कुर्की को अनिवार्य करती है। ;

धारा 4 की उप-धारा (2) संलग्न के शीर्षक को अलग करती है।

कानून की उचित प्रक्रिया के बिना संपत्तियाँ; और

धारा 7 में कहा गया है कि नामित न्यायालय वित्तीय प्रतिष्ठान या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। जिसकी संपत्ति कुर्क है। उन सभी व्यक्तियों द्वारा आपत्ति उठाई जाएगी जिनके दावा करने की संभावना है। आपत्ति का निर्णय सी. पी. सी. 1908 के आदेश 37 के तहत एक संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। एक द्वारा संपत्ति के स्वामित्व का विनिवेश

संक्षिप्त प्रक्रिया मनमाना है।

हालाँकि एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने मंच पर लेन-देन ऐसा प्रतीत होता है

ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच समझौता। एक उधारकर्ता जिसने ऋण का भुगतान करने में चूक की है, उसे चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वह;

उधार लेना-व्यापारी और एन. एस. ई. एल. को नहीं; छह संलग्नक अधिसूचनाओं में से पाँच एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "सर्वव्यापी अधिसूचनाएँ" थीं; और

एन. एस. ई. एल. ने 16 प्रतिशत रिटर्न का पूर्ण आश्वासन नहीं दिया। इन अभ्यावेदनों का मतलब केवल यह था कि 'विवेकपूर्ण निवेश' करने वाले निवेशकों को 16 प्रतिशत का वार्षिक लाभ मिलेगा।

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की रूपरेखाएम. पी. आई. डी. अधिनियम महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा 21 जनवरी 2000 को राष्ट्रपति की सहमति से अधिनियमित किया गया था। [2022] 10 एस. सी. आर. की शुरुआत के साथ वस्तुओं और कारणों का विवरण।

विधेयक में कहा गया है कि यह कानून जनता को जमा के रूप में जनता से धन हड़पने वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है:

" हाल के दिनों में महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय प्रतिष्ठानों में तेजी से वृद्धि हुई है। इन प्रतिष्ठानों का एकमात्र उद्देश्य जमा के रूप में प्राप्त धन को हड़पना है।

ब्याज या पुरस्कारों की अभूतपूर्व उच्च आकर्षक ब्याज दरें और परिपक्वता पर निवेशकों को जमा राशि वापस करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना या बदले में सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रावधान के बिना, जैसा कि आश्वासन दिया गया है। इनमें से कई वित्तीय प्रतिष्ठानों ने जनता को जमा राशि वापस करने में चूक की है। के रूप में
इस तरह की जमा राशि करोड़ों रुपये की होती है, जिसके परिणामस्वरूप जनता में भारी आक्रोश और हंगामा हुआ है, जिससे महाराष्ट्र राज्य में, विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी माना जाता है, कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हुई है। इसलिए ऐसे वित्तीय प्रतिष्ठानों की अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जनहित में एक उपयुक्त कानून बनाना समीचीन है।

महाराष्ट्र राज्य "।

17. एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 3 में दंड की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय प्रतिष्ठान के व्यवसाय या मामलों के प्रबंधन या संचालन के लिए जिम्मेदार प्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति का दोषसिद्धि, जिसने परिपक्वता पर जमा राशि के पुनर्भुगतान में धोखाधड़ी से चूक की है। धारा 3 निम्नलिखित शब्दों में है:

ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में जैसा कि वादा किया गया है या धोखाधड़ी से जमा के खिलाफ आश्वासन के रूप में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, ऐसे वित्तीय प्रतिष्ठान के व्यवसाय या मामलों के प्रबंधन या संचालन के लिए जिम्मेदार प्रमोटर, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर छह साल तक की अवधि के कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और ऐसा वित्तीय प्रतिष्ठान भी जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो छह साल तक हो सकता है और
जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक हो सकता है और ऐसा वित्तीय महाराष्ट्र राज्य V.

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक लाख रुपये।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक वित्तीय

प्रतिष्ठान, जो ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में ऐसे लाभों के साथ ऐसी जमा राशि के पुनर्भुगतान में चूक करता है, जैसा कि वादा किया गया है या एक व्यक्ति को गलत लाभ या दूसरे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसी जमा राशि के खिलाफ वादा की गई कोई निर्दिष्ट सेवा प्रदान करने में विफल रहता है या अव्यवहारिक से उत्पन्न होने वाली अपनी असमर्थता के कारण ऐसा चूक करता है या

ऐसी जमा राशि को स्वीकार करते समय किए गए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं वादे या जमाओं से अर्जित धन या परिसंपत्तियों को इस तरह से तैनात करने से उत्पन्न होते हैं क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ने पर उनकी वसूली में अंतर्निहित जोखिम शामिल होता है। धोखाधड़ी से एक डिफ़ॉल्ट या विशिष्ट सेवा प्रदान करने में विफल रहा।

धारा 4 में भुगतान की वापसी में चूक पर वित्तीय प्रतिष्ठान की संपत्तियों पर कुर्की लगाने पर विचार किया गया है। धारा 4 प्रदान करती है

जमाकर्ताओं को धोखा देने के इरादे से, यह वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा अर्जित धन या संपत्ति को जमा से जब्त कर सकता है। द. प्रावधान में कहा गया है कि यदि ऐसा धन या संपत्ति कुर्क करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वित्तीय प्रतिष्ठान या प्रवर्तक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्य की संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

18. धारा 5 में सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है।

प्राधिकरण जबकि धारा 6 में एक नामित न्यायालय का प्रावधान है। धारा 7 कुर्की के संबंध में नामित न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख करती है। धारा 7 के तहत, धारा 5 के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, नामित न्यायालय वित्तीय प्रतिष्ठान या किसी भी व्यक्ति को कारणदर्शक नोटिस जारी करेगा जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है। संलग्नक का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन सभी व्यक्तियों को भी एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिनके संपत्ति में हित होने की संभावना है, उन्हें इस आधार पर संपत्ति की कुर्की पर आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा कि संपत्ति या उसके एक हिस्से में उनका हित है।

यदि कोई

कारण नहीं है तो [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दिखाया गया है कि तब कुर्की को पूर्ण बनाया जाएगा और परिसंपत्तियों की प्राप्ति और न्यायसंगत वितरण के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यदि कारण दिखाया जाता है, तो नामित न्यायालय सिविल के आदेश 37 के तहत विचार की गई संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करके इसकी जांच करेगा।

प्रक्रिया संहिता 1908। धारा 11 के प्रावधानों द्वारा नामित न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की परिकल्पना की गई है।

19. चूंकि एन. एस. ई. एल. के पास पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं थी

बकाया राशि के भुगतान में चूक पर धारा 4 के तहत कुर्की, महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिवादी की संपत्तियों को कुर्क किया जो एन. एस. ई. एल. के शेयरों का 99.9% का मालिक है।

सी. 2 एन. एस. ई. की रूपरेखा

20. यह सुनिश्चित करने के लिए एन. एस. ई. एल. के उपनियमों का उल्लेख करना आवश्यक है।

एन. एस. ई. एल. के संचालन और कार्यप्रणाली की संरचना। बाय-लॉ 2.17 "प्रमाणित गोदाम रसीद" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः

" प्रमाणित गोदाम रसीद का अर्थ है इसके तहत जारी की गई रसीद

विनिमय का प्राधिकरण या विनिमय द्वारा अनुमोदित कोई एजेंसी एक प्रमाणित गोदाम के रूप में, एक के स्वामित्व का प्रमाण

निर्दिष्ट श्रेणी और गुणवत्ता की वस्तुओं की मानक मात्रा

प्रमाणित गोदाम रसीद का लाभकारी मालिक या धारक।

प्रमाणित गोदाम रसीद या तो भौतिक रूप में या में हो सकती है

विमुद्रीकृत/इलेक्ट्रॉनिक रूप जो कानून द्वारा अनुमत हो।

'प्रमाणित गोदाम' शब्द को बाय-लॉ 2.18 में परिभाषित किया गया है।

"वस्तुओं में लेन-देन के परिणामस्वरूप संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए डिलीवरी करने और डिलीवरी लेने के लिए एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित और नामित गोदाम" के रूप में। बाय-लॉ 2.51 'मार्जिन' को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

किसी पद को स्थापित करने या बनाए रखने के लिए परिसंपत्तियाँ/दस्तावेज़ वस्तु और इसमें प्रारंभिक मार्जिन, विशेष मार्जिन, साधारण शामिल हैं।

सीमा, वितरण अवधि सीमा, अतिरिक्त सीमा और भिन्नता

मार्जिन या किसी अन्य प्रकार का मार्जिन जो इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

समय-समय पर आदान-प्रदान करें "।

(जोर दिया गया)

21. 'वेयरहाउस रसीद' शब्द को बाय-लॉ में परिभाषित किया गया है।

2.96 इसका अर्थ है एक दस्तावेज जो इस बात का प्रमाण देता है कि एक वस्तु अनुमोदित गोदाम में रखी जा रही है। बाय-लॉ 3.7 दायित्व की सीमा का प्रावधान करता हैः

ई-महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" एक्सचेंज अपने सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति, अधिकृत या अनधिकृत, किसी भी सदस्य के नाम पर कार्य करने की किसी भी गतिविधि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और इसके द्वारा कमीशन या चूक के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी तरह से एक्सचेंज के एजेंट के रूप में उनमें से किसी एक द्वारा कमीशन या चूक का कार्य माना जाता है। इन उपनियमों और व्यावसायिक नियमों में विशेष रूप से दिए गए प्रावधानों के अनुसार बचत करें और एक्सचेंज के विनियमों के अनुसार, एक्सचेंज पर कोई दायित्व नहीं होगा या ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने कोई दायित्व वहन किया है और तदनुसार, एक्सचेंज, निदेशक मंडल के किसी सदस्य/या उसके द्वारा विधिवत नियुक्त समिति के खिलाफ कोई दावा या सहारा नहीं होगा।

एक्सचेंज की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति, इसके माध्यम से किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में या उसके संबंध में इसके सदस्यों द्वारा किया गया आदान-प्रदान और कोई अन्य मामले

उससे संबंधित, जो विनिमय के कार्यों को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने, सहायता करने, विनियमित करने या अन्यथा प्रबंधित करने के लिए किए जाते हैं ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है।

मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एक्सचेंज "।

22. बाय-लॉ 4.20 (ए) में कहा गया है कि सभी बकाया लेनदेन

नोडिटी को अनिवार्य रूप से एक या अधिक डिलीवरी पर वितरित किया जाएगा।

या एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त गोदामों में। ए. डब्ल्यू. के खंड (बी) में कहा गया है कि यदि बकाया लेनदेन का निपटान या डिलीवरी प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया है, तो इसे खरीद-फरोख्त करके नीलाम किया जाएगा।

एक्सचेंज के व्यापार नियमों के अनुसार बाहर निकलें:

(अ)

वस्तुओं में सभी बकाया लेनदेन सामान्य रूप से होंगे।

किसी भी एक या अधिक डिलीवरी पर अनिवार्य डिलीवरी के लिए हो अंक और/या गोदाम अनुमोदित, प्रमाणित और नामित

विनिमय द्वारा।

सभी बकाया पद जो देने या प्राप्त करने से तय नहीं हुए हैं

(ख)

विनिमय के व्यापार नियमों के अनुसार, एक प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित दंड के साथ या डिलीवरी देने या प्राप्त करने में विफल रहने वालों के लिए ऐसी समिति।

अलविदा-कानून 7.10। 2 यह बताता है कि विनिमय इसके लिए जिम्मेदार होगा

प्रत्येक समाशोधन सदस्य को मिमिटमेंट्स जब तक कि डिफ़ॉल्ट का कारण न हो

अनुचित व्यापार के तहत जो निपटान गारंटी [2022] 10 एस. सी. आर. द्वारा कवर नहीं किया गया है।

" एक्सचेंज प्रत्येक के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार होगा।

समाशोधन सदस्य क्या शेष समाशोधन सदस्य के साथ

जिनका लेन-देन परिस्थितियों को छोड़कर चूक हो गया है

फंड (एस. जी. एफ.) चूक का कारण है। बाय-लॉ 7.11 में कहा गया है कि एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस

अन्य बातों के अलावा, मार्जिन प्राप्त करने की जिम्मेदारी लें

गोदामों की प्राप्तियों का प्रमाणन और उनका संचरण

भावनाएँ। अलविदा-कानून 7.11 इस प्रकार हैः

" विनिमय का समाशोधन गृह, इस तरह से

मार्जिन प्राप्त करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी है भुगतान, खुले पदों और मार्जिन की निगरानी, और

दस्तावेजों का प्रेषण, भुगतान और प्रमाणित

व्यापार-सह-समाशोधन सदस्यों के बीच गोदाम रसीदें

और एक्सचेंज के संस्थागत समाशोधन सदस्य।

(जोर दिया गया)

बाय-लॉ 9 में समाशोधन और निपटान का प्रावधान है। अलविदा-कानून 9.5,

9. 7 निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 9.5 खरीदने या बेचने का ऑर्डर एक समान लेनदेन बन जाएगा।

केवल तभी जब इसे व्यापार प्रणाली और समाशोधन में मिलान किया जाता है

सदन किसी अन्य पर आदेश को अमान्य नहीं पाता है। विचार और आगे यह सत्यापित करने के बाद कि निम्नलिखित में हैं

((ग) मात्रा, ((iv) लेन-देन उद्धरण,

(जोर दिया गया)

निर्दिष्ट वस्तुएँ जिनमें विनिमय ने निर्णय लिया है वित्तीय गारंटी की जिम्मेदारी स्वीकार करना

दायित्व।

(जोर दिया गया)

ई-महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

9.7 सभी बकाया लेन-देन मूल पर बाध्यकारी होंगे। अनुबंध करने वाले पक्ष, यानी विनिमय के सदस्य जब तक वितरण सूचना या वितरण आदेश या वितरण के लिए भुगतान जारी नहीं हो जाता,

जैसा कि मामला हो सकता है "।

23. बाय-लॉ 10 में डिलीवरी के संबंध में प्रावधान हैं:

" 10.1 बकाया स्थिति की पूर्ति के लिए, वस्तु को संबंधित समाशोधन सदस्यों के माध्यम से समाशोधन गृह को वितरण आदेशों द्वारा उस तरीके से निविदा दी जाएगी जो व्यापार नियमों या विनियमों में निर्धारित की जाए।

10.2 एक्सचेंज प्रत्येक वस्तु के लिए निविदा दिवस और वितरण अवधि निर्धारित करेगा जिसके दौरान बकाया बिक्री स्थिति वाले विक्रेताओं को अपने संबंधित समाशोधन सदस्यों के माध्यम से समाशोधन गृह को वितरण आदेश जारी करना होगा। 10.3 क्लियरिंग हाउस अपने द्वारा प्राप्त डिलीवरी ऑर्डर को एक या अधिक खरीदारों के बीच आवंटित करेगा, जिनके पास बकाया लंबे खुले पद हैं, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाते हैं।

10.4 संबंधित प्राधिकरण किसी वस्तु में व्यापार शुरू करने से पहले किसी वस्तु के विभिन्न श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें निविदा दी जा सकती है और ऐसे श्रेणियों के लिए छूट और प्रीमियम।

10.5 दिन के अंत में बकाया सभी पदों के परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लेनदेन की तारीख की अंतिम दर पर अनिवार्य वितरण दायित्व होगा। वास्तविक लेन-देन मूल्य और समापन मूल्य से उत्पन्न होने वाले अंतर सदस्यों से प्राप्त किए जाएंगे और सदस्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

व्यापार के अगले दिन, वास्तविक डिलीवरी लंबित है। संबंधित प्राधिकरण बकाया पदों वाले विक्रेताओं पर जुर्माना निर्धारित कर सकता है जो डिलीवरी ऑर्डर जारी करने में विफल रहते हैं और एक्सचेंज उन खरीदारों को डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी आयोजित कर सकता है जो बकाया खरीद पदों पर हैं और डिलीवरी उठाने का इरादा रखते हैं और विक्रेता की ओर से विफलता के कारण ऐसे पदों के खिलाफ डिलीवरी ऑर्डर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नीलामी प्रक्रिया के दौरान वस्तुओं की अनुपलब्धता के मामले में, व्यापार नियम में परिभाषित क्लोज-आउट प्रक्रिया लागू होगी। संबंधित प्राधिकरण खरीदारों पर जुर्माना निर्धारित कर सकता है

बकाया पद जो अपने खरीद दायित्व के खिलाफ भुगतान करने में विफल रहते हैं और एक्सचेंज यह सुनिश्चित करने के लिए नीलामी कर सकता है कि [2022] 10 एस. सी. आर.

विक्रेताओं को उनके बदले में वितरित वस्तुओं की कीमत मिलती है बिक्री दायित्व और पर विफलता के कारण भुगतान प्राप्त नहीं कर सका

खरीदारों का हिस्सा। उपयुक्त खरीदारों की अनुपलब्धता के मामले में

नीलामी प्रक्रिया के दौरान, बंद करने की प्रक्रिया जैसा कि में परिभाषित किया गया है

व्यावसायिक नियम लागू होंगे। देय राशि का भुगतान करने में विफलता और निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह के समापन से संबंधित दंड

सदस्य को व्यतिक्रमी घोषित किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा

वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। "

24. बाय-लॉ 10.7 में यह परिकल्पना की गई है कि डिलीवरी ऑर्डर जारी करने वाला विक्रेता

समाशोधन गृह से वस्तु की पूरी कीमत प्राप्त होगी।

वितरण आदेश दर के अनुसार वितरित किया जाता है, जो कि उप-कानूनों के तहत निर्धारित प्रीमियम या छूट के कारण परिवर्धन या कटौती के अधीन है। उप-कानून 10.8 के तहत, एक खरीदार को समय के भीतर एक्सचेंज द्वारा अपने खाते में आवंटित डिलीवरी के मूल्य का भुगतान क्लियरिंग हाउस को करना होता है। निर्दिष्ट किया गया। हालांकि, हस्तांतरण की संतुष्टि के लिए वितरण प्रक्रिया पूरी होने पर ही क्लियरिंग हाउस द्वारा विक्रेता को पैसा दिया जाएगा। उप-कानून इस प्रकार हैः

विनिमय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। पूरा दाम मिलने के बाद खरीदार से उसे आवंटित डिलीवरी ऑर्डर के अनुसार डिलीवरी,

एक्सचेंज उसे डिलीवरी ऑर्डर का समर्थन करेगा। इसके बाद, अब तक

वितरण प्रक्रिया के पूरा होने पर, पैसा होगा क्लियरिंग हाउस द्वारा रखा गया है और इसे पारित किया जाएगा

विक्रेता केवल वितरण प्रक्रिया के पूरा होने पर

हो सकता है। शेष राशि, यदि कोई हो तो, इसके बाद शेष रहती है। समायोजन, खरीदार को दिया जाएगा या उससे बरामद किया जाएगा

क्लियरिंग हाउस "।

(जोर दिया गया)

अलविदा-कानून 10.11 प्रदान करता है कि वितरण जारी करने के समय

आदेश में, वस्तु के विक्रेता को समाशोधन सदस्य को संतुष्ट करना चाहिए जो उसके पास है और उसके कब्जे में है या उसके एजेंट के कब्जे में वस्तु की आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के पर्याप्त स्टॉक हैं। अलविदा-कानून 10.12 निर्धारित करता है किः

ई-महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" एक विक्रेता सदस्य केवल डिलीवरी की पेशकश करने का हकदार है

विनिमय द्वारा अग्रिम रूप से निर्दिष्ट वितरण केंद्र

संबंधित वस्तु। डिलीवरी की निविदा इस तरह से दी जा सकती है

निर्दिष्ट वितरण प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से निर्दिष्ट केंद्र विनिमय द्वारा। निविदा वितरण से पहले, विक्रेता भी है

द्वारा सूचीबद्ध सर्वेक्षणकर्ता से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता विनिमय और इस तरह के प्रमाण पत्र के साथ होगा

उसके द्वारा क्लियरिंग हाउस को डिलीवरी ऑर्डर दिया जा रहा है। द.

सर्वेक्षणकर्ता का प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से माल की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करेगा। निविदा दी गई है और यह भी पुष्टि करेगा कि ऐसी गुणवत्ता निविदा योग्य है

इनमें से किसी भी शर्त का अनुपालन, वितरण आदेश है शुरू से ही अस्वीकार कर दिया गया। "

(जोर दिया गया)

25. इस प्रकार, उपरोक्त उपनियम के तहत, बेचने वाला सदस्य हकदार है।

केवल डिलीवरी केंद्र पर फेर डिलीवरी जो प्रदान की गई डिलीवरी प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से एंज में निर्दिष्ट है

ई-निविदा वितरण। विक्रेता को सर्वेक्षणकर्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।

एच को टेंडर किए जा रहे डिलीवरी ऑर्डर के साथ होना हैक्लियरिंग हाउस। अलविदा-कानून 10.14,10.15 और 10.16 में शामिल हैं

विंग की शर्तें:

" 10.14 एक्सचेंज के सदस्य और ग्राहक/घटक

उनके माध्यम से व्यवहार करने के लिए डिलीवरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा, नमूनाकरण, सर्वेक्षण, परिवहन, भंडारण, पैकिंग के तरीके,

वजन और अंतिम निपटान प्रक्रियाएं, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है

समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण। इस तरह का कोई भी उल्लंघन

विधि से संबंधित प्राधिकरण द्वारा इस तरह से निपटा जाएगा,

जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

10.15 वस्तु का विक्रेता अपने अनुसार मात्रा का वितरण करेगा।

में निर्दिष्ट अवधि के दौरान वस्तु में शुद्ध बिक्री की स्थिति विनिमय के नियम, व्यवसाय नियम और विनियम और

समय-समय पर इसके तहत जारी किए गए नोटिस और आदेश

निर्दिष्ट वस्तु, जिसे निर्दिष्ट गुणवत्ता की पुष्टि करनी चाहिए

अनुबंध विनिर्देश में विनिमय द्वारा। किसी भी मामले में

ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसी शुद्ध बिक्री स्थिति को खरीदकर बंद कर दिया जाएगा।

नीलामी में और विक्रेता को अंतर का भुगतान करना होगा, जैसे -

समाशोधन सदन द्वारा निर्धारित और इसके अतिरिक्त दंड।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.16 खरीदार को उसे सौंपे गए वितरण आदेश के अनुसार संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्दिष्ट गोदाम से डिलीवरी उठानी होगी। उसकी विफलता के मामले में

ऐसा करने पर, उसे गोदाम शुल्क, बीमा शुल्क और वृद्धिशील के लिए भंडारण से संबंधित अन्य खर्चों का भुगतान करना होगा।

अवधि और इसके अतिरिक्त दंड भी।

26. उपनियम 12 में निपटान गारंटी कोष के प्रावधान हैं। निपटान गारंटी कोष का गठन जमा राशि से किया जाता है

एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा और इसका उपयोग व्यापारिक सदस्यों द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में भुगतान करने, बीमा कवर का भुगतान करने और अन्य उपयोगों के साथ एक्सचेंज के नुकसान को कवर करने के लिए किया जाता है। अलविदा-कानून 12.1। 1 यह निम्नलिखित शब्दों में है:

" 12.1 निपटान गारंटी कोष को बनाए रखने के लिए विनिमय

12.1. 1 एक्सचेंज ऐसे उद्देश्यों के लिए एक्सचेंज के विभिन्न वस्तु खंडों के संबंध में निपटान गारंटी निधि बनाए रखेगा, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। समय-समय पर "।

27. अलविदा-कानून 12.1। 2 यह बताता है कि संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर निपटान को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और शर्तों को निर्धारित कर सकता है

गारंटी जो अन्य बातों के अलावा निपटान गारंटी कोष में प्रत्येक व्यापारिक सदस्य द्वारा जमा की जाने वाली राशि या योगदान को निर्दिष्ट कर सकती है। उप-कानून में यह भी कहा गया है कि अन्य शर्तों के साथ-साथ योगदान, पुनर्भुगतान की शर्तों और निधि से योगदान की निकासी पर भी नियम बनाए जाने हैं। अलविदा कानून 12.1। 3 इसमें कहा गया है कि व्यापार शुरू करने से पहले निधि में न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए, जिसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। उपनियम 12.2 में निपटान गारंटी कोष में योगदान और जमा राशि निर्धारित की गई है:

" 12.2 निपटान गारंटी के साथ योगदान और जमा

कोष

12.2. 1 प्रत्येक सदस्य को संबंधित निपटान गारंटी कोष में योगदान करने और न्यूनतम प्रतिभूति जमा प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। निपटान गारंटी निधि एक्सचेंज के पास होगी। निपटान गारंटी कोष में धन का उपयोग उस तरीके से किया जाएगा, जैसा कि इन उप कानूनों, नियमों, व्यापार नियमों और विनिमय के विनियमों और समय-समय पर उसके तहत जारी किए गए नोटिसों और आदेशों में प्रदान किया जा सकता है।

ई-महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

12.2. 2 संबंधित प्राधिकरण अतिरिक्त राशि निर्दिष्ट कर सकता है।

प्रत्येक सदस्य और/या द्वारा किया जाने वाला योगदान या जमा समाशोधन सदस्यों की श्रेणी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हो सकते हैं -

प्रत्येक समाशोधन सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम राशि।

12.2. 3 एक्सचेंज बहु-पार्श्वीय जाल के परिणामस्वरूप होगा।

एक कानूनी काउंटर पार्टी के रूप में, जैसा कि संबंधित बाय में प्रदान किया जा सकता है समय-समय पर कानून।

12.2. 4 . प्रतिभूति जमा और अतिरिक्त जमा की कुल राशि,

क्लियरिंग हाउस के साथ एक समाशोधन सदस्य द्वारा बनाए रखा गया विनिमय, यहाँ निर्दिष्ट किसी भी रूप में, का हिस्सा होगा

निपटान गारंटी कोष।

12.2. 5 समाशोधन सदस्य द्वारा जमा की गई राशि

प्रतिभूति जमा ऐसी शर्तों के अधीन, वापसी योग्य होगी और

समय-समय पर। समाशोधन द्वारा जमा या भुगतान की गई कोई भी राशि सदस्य को वापस किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी राशि

अधिशेष में है और कोई वास्तविक/क्राइटलाइज्ड या आकस्मिक नहीं है

दायित्व या किसी ग्राहक या समाशोधन बैंक से दावा

समाशोधन सदस्य द्वारा निर्वहन।

(जोर दिया गया)

28. बाय-लॉ 12.3 में कहा गया है कि एक सदस्य जमा राशि प्रदान कर सकता है। नकद, सावधि जमा रसीदें, बैंक गारंटी या ऐसे रूप में

रूप में।

12.3 अंशदान या जमा का प्रपत्र

समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण। बाय-लॉ 12.4 में कहा गया है कि जमा राशि को नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

बैठ जाते हैं। उपनियम 12 में कहा गया है कि निपटान गारंटी कोष प्रतिभूतियों या निवेश के अन्य साधनों में निहित हो सकता हैः

12.4 जमा का प्रतिस्थापन

विनिमय को एक उपयुक्त सूचना देकर और इस तरह के अधीन

शर्तें, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं

समय-समय पर, कोई सदस्य सावधि जमा रसीदें निकाल सकता है या

एक्सचेंज को दी गई बैंक गारंटी, जो सदस्य का प्रतिनिधित्व करती है

निपटान गारंटी कोष में योगदान या जमा,

बशर्ते कि सदस्य के पास, साथ ही इस तरह के

निकासी, जमा की गई नकदी, सावधि जमा रसीदें, या बैंक क्लियरिंग हाउस या एक्सचेंज के साथ या की गई गारंटी

ऐसी अन्य पद्धति के माध्यम से योगदान, जो द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है समय-समय पर क्लियरिंग हाउस या एक्सचेंज, उससे मिलने के लिए

इन बाइ में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, आवश्यक योगदान या जमा

कानून।

12.5 निपटान गारंटी कोष का निवेश

निपटान गारंटी कोष में धन का निवेश किया जा सकता है। ऐसी अनुमोदित प्रतिभूतियों और/या अन्य मार्गों में

निवेश, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा सकता है

समय-समय पर लागू प्रासंगिक व्यापार नियम और विनियम

समय।

(जोर दिया गया)

उपनियम 12.6 में कहा गया है कि निपटान गारंटी कोष हो सकता है -

(i) निधि के रखरखाव के उद्देश्य से; (ii) निधि का उपयोग करना।

मौखिक रूप से समाशोधन से उत्पन्न कमियों और कमियों को पूरा करने के लिएनिपटान दायित्व; (iii) बीमा कवर का भुगतान; (iv) समाशोधन और निपटान दायित्वों से उत्पन्न एस. एस. को कवर करना; और (v) पुनर्भुगतान

सदस्यों, उपयोग के बाद उपलब्ध शेष राशि।

" 12.6 निपटान गारंटी निधि का प्रशासन और उपयोग

12.6. 1 निपटान गारंटी निधि का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

इन उप-कानूनों और विनियमों में दिए गए उद्देश्य

और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संबंधित प्राधिकरण कर सकता है

समय-समय पर निर्धारित करें, जिसमें शामिल हो सकते हैं

ए। निर्माण और रखरखाव के खर्चों का भुगतान करना

निपटान गारंटी कोष;

बी। निपटान गारंटी कोष का अस्थायी आवेदन पूरा करने के लिए

महाराष्ट्र राज्य की समाशोधन और निपटान से उत्पन्न होने वाली कमियां और कमियां।

ऐसे लेन-देन के संबंध में सदस्यों को मंजूरी देने के दायित्व, जो इन उप-कानूनों, नियमों, व्यवसाय नियमों में प्रदान किए जा सकते हैं।

और समय-समय पर लागू विनिमय के विनियम;

सी। बीमा कवर (ओं) पर प्रीमियम का भुगतान जो प्रासंगिक हो

डी। ऐसे लेन-देन के समाशोधन और निपटान संचालन से उत्पन्न एक्सचेंज के किसी भी नुकसान या दायित्व को पूरा करना, जो हो सकता है इनमें उपबंध किए गए-कानून, नियम, व्यवसाय नियम और

समय-समय पर लागू विनिमय के नियम;

ई. विनिमय के उपनियमों, नियमों, व्यवसाय नियमों और विनियमों के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद जमा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधानों के अनुसार सदस्य को शेष राशि का पुनर्भुगतान, जब ऐसे सदस्य का होना बंद हो जाता है।

सदस्य, और एफ. कोई अन्य उद्देश्य, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए,

समय-समय पर "।

29. अलविदा-कानून 12.7 और 12.8 विशेष रूप से व्यापारिक सदस्य के निपटान समझौते को पूरा करने में विफलता या जब उसे चूककर्ता घोषित किया जाता है, तो उसके उपयोग के लिए प्रावधान करते हैं:

" 12.7 दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए उपयोग

जब भी कोई सदस्य अपने लेन-देन के संबंध में अपने समाशोधन और निपटान कार्यों से उत्पन्न विनिमय के प्रति अपने निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जैसा कि विनिमय के इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में प्रदान किया जा सकता है, तो संबंधित प्राधिकरण उक्त सदस्य के क्रेडिट में पड़े निपटान गारंटी निधि और अन्य धन का उपयोग ऐसे नियमों और शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक कर सकता है, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।

12.8 निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफलता के मामले में उपयोग

या चूककर्ता की घोषणा पर

जब भी कोई सदस्य लेन-देन से उत्पन्न विनिमय के लिए अपने निपटान दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, जैसा कि इन उप-कानूनों, नियमों, व्यवसाय नियमों और [2022] 10 एस. सी. आर. के विनियमों में प्रदान किया जा सकता है।

समय-समय पर लागू विनिमय, या जब भी किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण इसका उपयोग कर सकता है निपटान गारंटी निधि और सदस्य के अन्य धन

12.9. 2 यदि उपरोक्त सभी शीर्षों के तहत संचयी राशि पर्याप्त नहीं है, तो शेष दायित्वों का आकलन सभी समाशोधन सदस्यों के खिलाफ उनके कुल योगदान और प्रतिभूति जमा के लिए जमा के समान अनुपात में किया जाएगा, और समाशोधन सदस्यों को ऐसे समय के भीतर निपटान गारंटी कोष में योगदान या कम राशि जमा करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट करे। [.....]

बाय-लॉ 12.11 में कहा गया है कि जमा राशि द्वारा आवंटित की जाएगी

व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतरः

12.11 अंशदान या जमा का आवंटन

प्रत्येक समाशोधन सदस्य का योगदान और जमा राशि

निपटान गारंटी निधि एक्सचेंज द्वारा आवंटित की जाएगी।

व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में से, जो हैं -

विनिमय द्वारा नामित और जिसमें

विनिमय समय-समय पर निर्णय ले सकता है। एक्सचेंज किसी विशेष खंड को आवंटित निधि का उपयोग करने का अधिकार अपने पास रखेगा। उस खंड के लिए या किसी अन्य खंड के लिए संचालन के लिए आकस्मिक, एक्सचेंज के नुकसान या देनदारियों से मेल खाने के लिए व्यापार, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा अपने विवेक से तय किया जा सकता है।

बाय-लॉ 12.12 में कहा गया है कि समाशोधन सदस्य को कटौती करने के बाद अपने पद का भुगतान किया जाएगाः

12.12 समाशोधन सदस्य को उसकी समाप्ति पर पुनर्भुगतान

12.12. 1 एक सदस्य हॉल निपटान गारंटी कोष में उसके द्वारा की गई जमा की वास्तविक राशि, यदि कोई हो, के पुनर्भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते कि यह बाद में प्रवेश शुल्क का हिस्सा न हो। ए। सदस्य के कारण एक विनिमय सदस्य होना बंद हो जाता है

कोई भी कारण जो भी हो, ई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बी। जिस समय सदस्य एक विनिमय सदस्य नहीं रह जाता है, उस समय के सभी लंबित लेनदेन, जिनके परिणामस्वरूप निपटान गारंटी कोष पर शुल्क लग सकता है, को बंद कर दिया गया है और निपटाया गया है।

सी। विनिमय के लिए सभी दायित्व जिनके लिए सदस्य था जब वह एक विनिमय सदस्य था तो जिम्मेदार को संतुष्ट किया गया है, या संबंधित प्राधिकरण के विवेक पर, विनिमय द्वारा सदस्य की वास्तविक जमा राशि से कटौती की गई है; बशर्ते, सदस्य ने विनिमय को ऐसी क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति प्रस्तुत की हो।

गारंटी जैसा कि संबंधित प्राधिकरण आवश्यक समझ सकता है या किसी अन्य समाशोधन सदस्य को समाशोधन सदस्य के सभी लेन-देन और दायित्वों के लिए स्वामित्व देयता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, जो

ई. एक उपयुक्त राशि, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित की जा सकती है, को एक्सचेंज द्वारा ऐसे अन्य दायित्वों के लिए अलग रखा गया है, जिन्हें एक्सचेंज द्वारा अस्तित्व में माना जा सकता है या जिसे एक्सचेंज द्वारा उत्पन्न होने के लिए माना जा सकता है। भविष्य।

12.12. 2 संबंधित प्राधिकरण पुनर्भुगतान के लिए मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है।

जमा राशि जिसमें वह तरीका, राशि और अवधि शामिल है जिसके भीतर इसका भुगतान किया जा सकता है। पुनर्भुगतान राशि, किसी भी समय, ऐसे समाशोधन सदस्य द्वारा समय-समय पर देय आवश्यक बकाया या शुल्कों में कटौती करने के बाद समाशोधन सदस्य के क्रेडिट के लिए उपलब्ध वास्तविक जमा राशि से अधिक नहीं होगी, जिसमें प्रारंभिक राशि भी शामिल है।

जमा करें।

ग. 3 'जमा' और 'वित्तीय प्रतिष्ठान' की परिभाषाएँ:

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) और 2 (डी) का दिखावा

30. प्रत्यर्थी की संपत्तियों को संलग्न करने वाली अधिसूचनाएँ

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किया गया। धारा 4 केवल उन स्थितियों को शामिल करती है जहां एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' एक चूक करने वाली इकाई है। 4 पर नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 4. (1) किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

उस समय लागू, [2022] 10 एस. सी. आर.

((i) जहां जमाकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर या

(ग) ऐसी जमा राशि के विरुद्ध वादा की गई सेवा प्रदान करना; या

((ii) जहां सरकार के पास यह मानने का कारण है कि कोई भी वित्तीय

प्रतिष्ठान एक सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहा है जो इसके लिए हानिकारक है

जमाकर्ताओं के हितों को धोखा देने के इरादे से; [.....]

(जोर दिया गया)

31. प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या एन. एस. ई. एल. वित्तीय है।

धारा 2 (घ) के अर्थ के भीतर 'स्थापना'। धारा 2 (घ) इस प्रकार हैः

" (घ) "वित्तीय प्रतिष्ठान" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो इसे स्वीकार करता है। किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा

लेकिन इसमें स्वामित्व वाला निगम या सहकारी समिति शामिल नहीं है।

या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित

या धारा 5 के खंड (सी) के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;

वित्तीय प्रतिष्ठान को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो

' जमा '। इस परिभाषा में (ए) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली निगम या सहकारी समिति; और (बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (सी) के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। चूँकि एन. एस. ई. एल. इसके अंतर्गत नहीं आता है। अपवादों में से कोई भी, यह अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' होगा यदि यह 'जमा स्वीकार करने वाला व्यक्ति' है। की धारा 3 (42)

सामान्य खंड अधिनियम 1897 निगमित और अनिगमित दोनों कंपनियों को शामिल करने के लिए "व्यक्ति" की एक समावेशी परिभाषा प्रदान करता है।

" ' 'व्यक्ति' में कोई कंपनी या संघ या निकाय शामिल होगा

व्यक्ति, चाहे निगमित हों या न हों। "

25 न्यू होराइजन शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। पांडिचेरी सरकार, (2912) 10 एस. सी. सी. 575 (पैरा 58)

ई-महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभिव्यक्ति जमा को एम. पी. आई. डी. की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित शर्तें हैं:

" (ग) "जमा" में शामिल है और यह हमेशा माना जाएगा कि इसमें किसी भी वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति शामिल है जिसे एक निर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा, नकद या वस्तु में या किसी अन्य रूप में वापस किया जाना है।

ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना किसी निर्दिष्ट सेवा का रूप, लेकिन

शामिल नहीं है

(i) शेयर पूंजी के माध्यम से या डिबेंचर, बांड या किसी अन्य साधन के माध्यम से जुटाई गई राशि जो इसके अंतर्गत आती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एस. ई. बी. आई. द्वारा दिए गए दिशानिर्देश और बनाए गए विनियम;

((ii) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में योगदान की गई राशि;

((ग) के खंड (ग) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंकिंग कंपनी से प्राप्त राशियाँ।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5;

((iv)-से प्राप्त कोई राशि।

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (ख) एक राज्य वित्तीय निगम,

की धारा 6 ए में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था

((ग)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, या

कोई अन्य संस्था जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है

((घ)

इस संबंध में;

(v) व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त राशियाँ -

(क) प्रतिभूति जमा,

(ख)

डीलरशिप जमा,

((ग)

गंभीर पैसा,

((घ)

माल या सेवाओं के लिए आदेश के खिलाफ अग्रिम;

€ (vi) किसी व्यक्ति या फर्म या व्यक्तियों के संघ से प्राप्त कोई राशि जो निगमित निकाय नहीं है,

राज्य में कुछ समय के लिए लागू धन ऋण से संबंधित किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत; और

(vii) सदस्यता के माध्यम से प्राप्त कोई भी राशि

एक चिट।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण I-"चिट" का वही अर्थ है जो खंड में दिया गया है।

((ख) चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 2;

स्पष्टीकरण II। – विक्रेता द्वारा किसी भी संपत्ति (चाहे वह चल हो या अचल) की बिक्री पर खरीदार को दिया गया कोई भी ऋण नहीं होगा।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए जमा माना जाएगा;

'जमा' अभिव्यक्ति की वैधानिक परिभाषा में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

धन की कोई रसीद या किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति

((i)

एक वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा वस्तु;

((ख)

इस तरह की स्वीकृति धन के अधीन होनी चाहिए या

एक निर्दिष्ट अवधि के बाद वापस करने के लिए आवश्यक वस्तु

अवधि या अन्यथा; और

(iii)

धन या वस्तु की वापसी नकद में हो सकती है,

किसी प्रकार की या किसी निर्दिष्ट सेवा के रूप में, ब्याज, बोनस, लाभ या किसी भी रूप में किसी भी लाभ के साथ या बिना अन्य रूप।

परिभाषा के इन तत्वों के बाद खंड (i) से (vii) में विचार किए गए विशिष्ट बहिष्करण हैं। अपवादों के खंड (i) में एक ऐसी राशि शामिल है जो शेयर पूंजी के माध्यम से या डिबेंचर, बांड या SEBI के दिशानिर्देशों और विनियमों द्वारा शासित अन्य साधनों द्वारा जुटाई जाती है। खंड (v) में कहा गया है कि व्यापार के सामान्य क्रम में प्रतिभूति जमा, डीलरशिप जमा, बकाया राशि या माल या सेवाओं के आदेश के खिलाफ अग्रिम के रूप में प्राप्त धन को बाहर रखा जाएगा। खंड (i) से (vii) में बहिष्करण इंगित करते हैं कि ऐसे लेनदेन जो अन्यथा परिभाषा के व्यापक दायरे में आते हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। 32. विधायिका किसी शब्द को उसके प्राकृतिक अर्थ को सीमित या विस्तारित करके कृत्रिम रूप से परिभाषित कर सकती है। जब विधायिका 'मतलब' वाक्यांश का उपयोग करती है, तो परिभाषा का उद्देश्य संपूर्ण होना है। इंद्र सरमा बनाम। वी. के. वी. सरमा, 26 इस न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम

2005 की धारा 2 (एफ) में 'घरेलू संबंध' अभिव्यक्ति की परिभाषा प्रतिबंधात्मक है क्योंकि इसे 'साधन' शब्द के उपयोग द्वारा परिभाषित किया गया है। दूसरी ओर, न्यायालय ने एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि जहां किसी शब्द की परिभाषा समावेशी है, जैसा कि द्वारा प्रस्तुत किया गया है

"शामिल है" अभिव्यक्ति को अपनाना, यह प्रथम दृष्टया व्यापक है। द.

26 (2013) 15 एस. सी. सी. 755 27 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम बनाम। अशोक आयरन वर्क प्रा. लिमिटेड, (2009) 3 एस. सी. सी. 240; रमनलाल भाईलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य, (2008) 5 एस. सी. सी. 449 महाराष्ट्र राज्य बनाम।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

'जमा' की परिभाषा में 'शामिल है और हमेशा शामिल माना जाएगा' वाक्यांश का उपयोग किया गया है। इसका महत्व एक कानूनी कल्पना का निर्माण करना है जिसके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो हालांकि प्राकृतिक अर्थ के भीतर शामिल नहीं होते हैं।

अभिव्यक्ति को शामिल करने का इरादा है। 'जमा' शब्द को परिभाषित करते समय 'और' हमेशा शामिल माना जाता है 'का संयुक्त उपयोग शब्द को समावेशी बनाता है न कि प्रतिबंधात्मक।

33. अभिव्यक्ति 'जमा' अपनी चौड़ाई में स्पष्ट रूप से व्यापक है।

और इसके दायरे में न केवल धन की कोई रसीद शामिल है, बल्कि इसके तहत किसी वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति भी शामिल है।

कोई भी योजना या व्यवस्था। ब्याज के मामले में, हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि अभिव्यक्ति "कोई भी" का उपयोग अभिव्यक्ति "जमा" की परिभाषा के मूल भाग में पांच अवसरों पर किया जाता है, अर्थात्:

((i)

धन की कोई रसीद;

((ख) कोई भी मूल्यवान वस्तु;

(@ (iii) किसी भी वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा; (@iv) किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना; और

((v) किसी अन्य रूप में।

34. इसी तरह, वित्तीय प्रतिष्ठान की परिभाषा जमा की स्वीकृति को संदर्भित करती है:

((i)

किसी योजना या व्यवस्था के तहत; या

((ख)

किसी भी अन्य तरीके से।

35. उपरोक्त दोनों अभिव्यक्तियों को परिभाषित करते हुए क़ानून द्वारा 'कोई भी' अभिव्यक्ति का बार-बार उपयोग करना विधायी का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है।

कानून के नियामक प्रावधानों को व्यापक और व्यापक तरीके से लागू करने का इरादा। क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कई अन्य राज्य अधिनियमों के विपरीत, एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 का खंड (सी) न केवल धन की प्राप्ति बल्कि किसी भी मूल्यवान वस्तु के जमा के अर्थ को भी समझता है। उदाहरण के लिए, इसके विपरीत, तमिलनाडु अधिनियम की धारा 2 (2) 'जमा' को केवल धन के संदर्भ में परिभाषित करती है न कि वस्तु के संदर्भ में। धारा 2 (2) इस प्रकार है:

" (2) " "जमा" से या तो एकमुश्त राशि में या वित्तीय प्रतिष्ठानों के साथ की गई किश्तों में धन जमा करना अभिप्रेत है।
ब्याज या किसी भी प्रकार की वापसी या किसी भी सेवा के लिए निश्चित अवधि; [2022] 10 एस. सी. आर.

इसी तरह, उड़ीसा में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले कानून 28

9

केरल 2 9, हिमाचल प्रदेश 3 0, गोवा 3 1, तेलंगाना 3 2, आंध्र प्रदेश 3 33 और सिक्किम 3 4 'जमा' वाक्यांश को केवल धन के संदर्भ में परिभाषित करते हैं न कि

किसी वस्तु की स्वीकृति।

36. धारा 2 (सी) के दूसरे घटक के अनुसार, धन

या वस्तु को वापस करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। हालाँकि, इस तरह की वापसी आवश्यक रूप से नकद या वस्तु के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ब्याज जैसे किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना सेवा के रूप में भी होनी चाहिए। यह याद रखने की आवश्यकता है कि धारा 2 (सी) के खंड (वी) में कहा गया है कि धन की जमा राशि या

प्रतिभूति जमा, डीलरशिप जमा या अग्रिम के रूप में बनाई गई वस्तु

राशि को 'जमा' वाक्यांश की परिभाषा से बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वित्तीय प्रतिष्ठान का कोई सदस्य रुपये जमा करता है। 25,000 , और यह कि सदस्यता की समाप्ति पर कटौती करके धन वापस किया जाता है, यह मुद्दा कि क्या जमा एक प्रतिभूति जमा है या धारा 2 (सी) के तहत आने वाली प्रकृति का है, वित्तीय प्रतिष्ठान के संचालन और कामकाज की संरचना के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिभाषा में यह भी कहा गया है कि वापसी ब्याज या किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना हो सकती है। इसलिए, दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ कि क्या एन. एस. ई. एल. ने अपने अभ्यावेदन के माध्यम से मंच में व्यापार पर 16 प्रतिशत लाभ का आश्वासन दिया था, इस उद्देश्य के लिए महत्वहीन है -

यह निर्धारित करना कि एन. एस. ई. एल. ने जमा स्वीकार किया है या नहीं।

37. प्रासंगिक उप-कानूनों को संदर्भित करने के बाद, हम निर्धारित करेंगे

यदि एन. एस. ई. एल. एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) द्वारा परिभाषित 'जमा' प्राप्त करता है। उपनियम स्पष्ट करते हैं कि एन. एस. ई. एल. व्यापारिक सदस्यों से धन और वस्तुएँ दोनों प्राप्त करता है। यह तय करने के लिए कि क्या एन. एस. ई. एल. द्वारा इन प्राप्तियों को 'जमा' माना जा सकता है, 'वापसी' की परीक्षा को संतुष्ट करना होगा। परीक्षण यह है कि वापसी नकद, वस्तु या सेवा में हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल ब्याज, बोनस या लाभ के लाभ के साथ होना चाहिए। इसलिए, यदि वित्तीय प्रतिष्ठान वापस करने के लिए बाध्य है 28 ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम 2011

29 केरल वित्तीय प्रतिष्ठान में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2013

331 गोवा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम 1999 32 तेलंगाना वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम 1999 33 आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम 1999 34 सिक्किम जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम 2000 महाराष्ट्र राज्य v.

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बिना किसी वृद्धि के जमा, यह अभी भी एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के दायरे में आएगा, बशर्ते कि जमा किसी भी अपवाद के भीतर नहीं आता है। हमारे मामले में प्रासंगिकता का अपवाद खंड (v) है जिसमें कहा गया है कि '(ए) प्रतिभूति जमा; (बी) डीलरशिप जमा; (सी) बयाना धन; और (डी) वस्तुओं या सेवाओं के लिए आदेश के खिलाफ अग्रिम के माध्यम से व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त राशियां -

'जमा' शब्द के दायरे से बाहर रखा गया।

ग. 3.1 निपटान गारंटी निधिः एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत जमा 38. व्यापारिक सदस्य एन. एस. ई. एल. को एक मार्जिन जमा का भुगतान करते हैं और एन. एस. ई. एल. एक निपटान गारंटी कोष रखता है। विनियम 4.12 में कहा गया है कि केवल उन सदस्यों के लेनदेन जिन्होंने मार्जिन जमा का भुगतान किया है और

प्रतिभूति जमा को वैध माना जाएगा। इसलिए, एन. एस. ई. एल. के प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए मार्जिन जमा और प्रतिभूति जमा का भुगतान 'अनिवार्य' है। विनियमन 4.12 एस. जी. एफ. को 'प्रतिभूति जमा' के रूप में संदर्भित करता है। इसी तरह, उप-कानून 12.2। 1 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सदस्य 'न्यूनतम प्रतिभूति जमा' का योगदान करें। हालांकि, केवल इसलिए कि एस. जी. एफ. को 'प्रतिभूति जमा' के रूप में संदर्भित किया जाता है, अपवाद नहीं होगा

स्वचालित रूप से लागू होता है। 'प्रतिभूति जमा' वाक्यांश का अर्थ आसपास के वाक्यांशों से रंग लेता है। उप-धारा 2 (सी) के खंड (वी) में प्रतिभूति जमा, डीलरशिप जमा, बयाना धन और वस्तुओं और सेवाओं के लिए आदेश के खिलाफ अग्रिम राशि को 'जमा' वाक्यांश के दायरे से बाहर रखा गया है। उप-धारा 2 (सी) (वी) में उपयोग की जाने वाली अवधारणाएँ दो श्रेणियों में आती हैंः (i) खरीद की इच्छा को इंगित करने के लिए भुगतान की गई सांकेतिक राशि (बकाया राशि और अग्रिम राशि), और (ii) एक पक्ष (डीलरशिप जमा और प्रतिभूति जमा) द्वारा चूक की आपातकालीन स्थितियों को पूरा करने के लिए आवश्यक भुगतान।

39. ब्लैक लॉ डिक्शनरी 3 5 सुरक्षा जमा को "एक किरायेदार द्वारा एक मकान मालिक के पास जमा किए गए धन को पूर्ण और वफादार लोगों के लिए सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है।

किरायेदार द्वारा पट्टों की शर्तों का निष्पादन, जिसमें नुकसान भी शामिल है परिसर। यह तब तक वापसी योग्य है जब तक कि किरायेदार ने संपत्ति को नुकसान या चोट नहीं पहुंचाई है या किरायेदारी की शर्तों या कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है।

किरायेदारी को नियंत्रित करना। कुछ राज्यों में मकान मालिक को भी ऐसा करने की आवश्यकता होती है

किराये की संपत्ति पर आवश्यक मरम्मत को कवर करने के लिए प्रतिभूति जमा। इसी तरह के एक वाक्यांश, "ग्राहक सुरक्षा कोष" को कई राज्य बार संघों द्वारा सदस्य-वकीलों के बेईमान आचरण के परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए स्थापित एक कोष के रूप में परिभाषित किया गया है। दोनों के अर्थ 35 ब्रायन ए गार्नर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी (11 संस्करण। थॉमसन रॉयटर्स)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाक्यांश प्रतिभूति जमा के आवश्यक अवयवों का सुझाव देते हैं,

नई:

अनुबंध के विश्वसनीय प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए एक अग्रिम;

((i)

निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भुगतान;

((ख)

और

(111) धनवापसी की पात्रता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या

क्षति, चोट और चूक के अवसर मिलते हैं।

40. उपनियमों का अध्याय 12 एस. जी. एफ. की विशेषताएँ प्रदान करता है:

((i)

एस. जी. एफ. का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

इसके निर्माण के लिए खर्चों का भुगतान करना और

(अ)

रखरखाव;

उत्पन्न होने वाली दक्षताओं को पूरा करने के लिए निधि का अस्थायी उपयोग

(ख)

दायित्वों के निष्पादन से बाहर;

बीमा कवर पर प्रीमियम का भुगतान;

((ग)

((घ)

विनिमय के नुकसान या दायित्व के लिए भुगतान

'समाशोधन और निपटान संचालन' से उत्पन्न होना;

किसी सदस्य को शेष जमा राशि का पुनर्भुगतान;

(ई)

सदस्य के दायित्वों के प्रति भुगतान जहाँ

(च)

सदस्य अपने निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है;

और

घोषित होने पर सदस्य के दायित्व का भुगतान

(जी)

एक चूककर्ता के रूप में;

सदस्यों का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किया जाता है।

((ख)

व्यापार के ऐसे खंड, जिनमें वे भाग ले सकते हैं। एक्सचेंज के पास व्यापार के किसी विशेष खंड को आवंटित निधि का उपयोग नुकसान या नुकसान की भरपाई के लिए करने का अधिकार भी है।

विनिमय की देनदारियाँ; और

निपटान निधि को अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।

(iii)

या निवेश के अन्य रास्ते।

41. एस. जी. एफ. की विशेषताएँ इंगित करती हैं कि निधि का उपयोग किया जाता है

वे खर्च, जो किए गए उपयोग से परे हैं।

एक नियमित प्रतिभूति निधि। एक मकान मालिक किरायेदार के बीच एक प्रतिभूति जमा के विपरीत जहां निधि का उपयोग महाराष्ट्र राज्य के 'आवश्यक दायित्वों' को पूरा करने के लिए किया जाता है।

मकान मालिक जैसे मरम्मत कार्य और कटौती तब की जाती है जब किरायेदार के पास बकाया भुगतान होता है, एन. एस. ई. एल. जमा राशि का उपयोग व्यापारिक सदस्य (खरीदार) के भुगतान दायित्वों को दूसरे व्यापार के लिए पूरा करने के लिए करता है।

सदस्य (विक्रेता) क्योंकि एन. एस. ई. एल. लेन-देन का विरोधी पक्ष है। हालांकि, एन. एस. ई. एल. इस कोष का उपयोग अपनी भूमिका से परे कार्यों को पूरा करने के लिए करता है।

काउंटर-पार्टी। उदाहरण के लिए, निधि का उपयोग निपटान संचालन में एन. एस. ई. एल. द्वारा सामना किए गए नुकसान को कवर करने के लिए किया जाता है, प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, और निधि को व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किया जाता है, जहां धन का उपयोग खंड में नुकसान, यदि कोई हो, को कवर करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए, एस. जी. एफ. की ये तीन विशेषताएं इंगित करती हैं कि हालांकि एस. जी. एफ. को नामकरण में 'प्रतिभूति जमा' कहा जाता है, लेकिन इसकी विशेषताएं प्रतिभूति जमा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। चूँकि एन. एस. ई. एल. एस. जी. एफ. के रूप में 'धन' प्राप्त करता है जो धन और सेवाओं में वापस किया जाता है, और अपवादों द्वारा कवर नहीं किया जाता है, इसलिए यह अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित 'जमा' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।

सी. 3. 2 वस्तुओं की प्राप्तिः धारा 2 (सी) के तहत जमा

यदि विक्रेता की किसी विशेष वस्तु की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध है तो विभाग वितरण विभाग के साथ पुष्टि करेगा। इसके बाद पुष्टि होने पर, संचालन विभाग बिक्री दलाल के निर्दिष्ट बैंक खाते में खरीद मूल्य जारी करेगा। साथ ही, खरीदार के दलाल या खरीदार को एक वितरण आवंटन रिपोर्ट जारी की जाएगी। एक बार वैट चालान का भुगतान हो जाने के बाद, एन. एस. ई. एल. एक डिलीवरी नोट जारी करेगा जो खरीदार को निर्दिष्ट गोदाम से डिलीवरी लेने के लिए अधिकृत करेगा या यदि खरीदार चाहे, तो वह वस्तु का रचनात्मक कब्जा ले सकता है। 'जमा' शब्द की परिभाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अर्थ हो कि वस्तु की स्वीकृति के साथ वस्तु को स्वामित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। भले ही वित्तीय प्रतिष्ठान केवल वस्तु की 'अभिरक्षा' में हो, फिर भी यह 'वस्तु की स्वीकृति' वाक्यांश के दायरे में आएगा। वस्तु की अभिरक्षा की स्वीकृति पर, एन. एस. ई. एल. को विभिन्न सेवाएं प्रदान करनी होती हैं जैसे कि वस्तु को सुरक्षित रखने और बिना किसी नुकसान के रखने का दायित्व। इसके अतिरिक्त, संचालन विभाग और वितरण विभाग

अनुबंधों का मिलान करते समय समन्वय करना होगा। इसी तरह, खरीदार को डिलीवरी नोट भेजे जाने के बाद, वस्तु या तो खरीदार को वितरित की जाती है या खरीदार को वस्तु के रचनात्मक कब्जे में रखा जाता है। 'गोदाम रसीद' वाक्यांश को उप-कानून 2.96 में एक दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस बात का प्रमाण देता है कि वस्तु एन. एस. ई. एल. द्वारा अनुमोदित में रखी जा रही है।

गोदाम। उपविधि के खंड (ख) 4.20 में कहा गया है कि यदि बकाया लेन-देन का निपटान डिलीवरी देकर या प्राप्त करके नहीं किया गया है, तो उसकी (वस्तु) नीलामी उसके अनुसार खरीद-फरोख्त करके या बेच-फरोख्त करके की जाएगी।

विनिमय के व्यापार नियम। बाय-लॉ 10.11 में कहा गया है कि वस्तुओं को केवल निर्दिष्ट गोदामों में पहुँचाया और पहुँचाया जाएगा। इसलिए, एन. एस. ई. एल. वस्तु प्राप्त करने के बदले में कई 'सेवाएं' प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत वस्तुओं की प्राप्ति और वस्तुओं को (जब सदस्यों को रचनात्मक कब्जे में रखा जाता है) मान्यता प्राप्त गोदामों में रखना एक 'जमा' है।

43. प्रत्यर्थी के वकील ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति

' धारा 2 (सी) में उपयोग की जाने वाली मूल्यवान वस्तु में केवल सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं शामिल होंगी। "मूल्यवान वस्तु" अभिव्यक्ति को क़ानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी के इस कथन को स्वीकार करने का कोई वैध आधार नहीं है कि अभिव्यक्ति को केवल अपने भीतर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को समझना चाहिए। यदि विधायिका का इरादा मूल्यवान वस्तु अभिव्यक्ति की परिभाषा को सीमित करने का था, तो वह अभिव्यक्ति के लिए एक कृत्रिम अर्थ आयात करने वाले स्पष्टीकरण का उपयोग कर सकती थी। हालांकि, विधायिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। एक मूल्यवान वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका महत्वपूर्ण मूल्य है। ऐसा नहीं है।

केवल वस्तु के आंतरिक मूल्य का उल्लेख करें। कोई वस्तु मूल्यवान है या नहीं, यह अधिनियम के हितकारी उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए जो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह इस संदर्भ में है कि एक उद्देश्य को अपनाना आवश्यक हो जाता है निर्माण जो कानून के अर्थ और विषय-वस्तु को प्रभावी बनाएगा। परिभाषा को प्रतिबंधात्मक अर्थों में पढ़ने का कोई भी प्रयास होगा

विधायी इरादे के विपरीत। विधायिका का उद्देश्य 'जमा' अभिव्यक्ति के साथ-साथ 'वित्तीय प्रतिष्ठान' अभिव्यक्ति को परिभाषित करना है।

व्यापक और सर्वव्यापी तरीके से। इसलिए, 'मूल्यवान वस्तु' वाक्यांश को केवल मूल्यवान धातुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। एन. एस. ई. एल. जिन कृषि जिंसों का व्यापार करता है, वे इसके दायरे में आएंगे।

कार्यकाल का दायरा। 44. हालांकि यह पहले देखा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य के लिए जमा से ब्याज या सुनिश्चित लाभ होना चाहिए।

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के उद्देश्यों के लिए, यह अभी भी आवश्यक है कि हम एन. एस. ई. एल. द्वारा किए गए अभ्यावेदन का उल्लेख करें। एन. एस. ई. एल. ने अपने विवरणिकाओं के दौरान निम्नलिखित के लिए उपलब्ध व्यापार और निवेश के अवसरों के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:

(क) निगमित ग्राहक;

(बी) उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति; और

((ग) खुदरा निवेशक।

45. 'अनुबंध विनिर्देशों' के शीर्ष के तहत, निम्नलिखित

प्रतिनिधित्व किया गया है:

निवेश (लाख)

वस्तु-वस्तु

अवधि

पैदावार

अरंडी का बीज

7.5-9 लाख।

16 %

टी + 3 और टी + 36

टी + 5 और टी + 30

अरंडी का तेल

16 %

7-9

कॉटन वॉश ऑयल

टी + 2 और टी + 25

16 %

10

धान

16 %

3.5- 4.5

टी + 2 और टी + 25

स्टील

टी + 2 और टी + 25

16 %

4.5-5

कच्चा ऊन

टी + 2 और टी + 25

16 %

3.5-4

वूल टॉप

टी + 2 और टी + 25

1.8-2

16 %

कच्चा सोयाबीन तेल

टी + 2 और टी + 25

16 %

3.3 . - 3.5

सोया डीओसी

1.7- 2.0

टी + 2 और टी + 25

16 %

परिष्कृत सरसों का तेल

टी + 2 और टी + 25

6.5

16 %

परिष्कृत सोयाबीन तेल

16 %

टी + 2 और टी + 25

6.5

परिष्कृत सूरजमुखी तेल टी + 2 और टी + 25

16 %

6.5

आरबीडी पामोलिन तेल

टी + 2 और टी + 25

6.5

16 %

टी + 2 और टी + 25

चीनी

3.0

16 %

मक्के

16 %

3.0

उपरोक्त प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट करता हैः

((i) वस्तुएँ; ((ख) लेन-देन की अवधि;

((ग) निवेश; और

((iv) उपज।

उदाहरण के लिए, अरंडी के बीजों के मामले में, एन. एस. ई. एल. ने बी.

अधिनियम (टी + 3) और बिक्री अनुबंध (टी + 36), जिसमें उपज बताई गई है

% . इसके अलावा, एन. एस. ई. एल. ने कहा किः

" अवसर

व्यापारी व्यापार कर सकते हैं और अपने रिटर्न को लॉक कर सकते हैं।

व्यापारी को नियर सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में खरीदना पड़ता है और उसमें बेचना पड़ता है।

एक साथ निपटान अनुबंध

दोनों निपटान के लिए मूल्य उपलब्ध है

विनिमय प्रतिपक्ष गारंटी जोखिम प्रदान करता है

कोई आधार जोखिम नहीं, भविष्य के अनुबंधों के साथ कोई संबंध नहीं "

"व्यापार अवसर" की विशेषताओं का वर्णन करते हुए, एनएस

भेजा किः

" व्यापार अवसर की विशेषताएंः

टी + 2 और टी + 25 अनुबंध अद्वितीय व्यापार अवसर प्रदान करता है।

व्यापारी

व्यापारी टी + 2 अनुबंध खरीदता है और साथ ही टी + 25 अनुबंध खरीदता है।

भुगतान-दायित्व टी + 2 पर है जबकि भुगतान-धन में से टी + 25 पर होगा। पूरा निपटान चक्र 35-37 दिनों का है।

दो निपटान तिथियों के बीच मूल्य अंतर यदि प्रीमियम वार्षिक रूप से लगभग 16 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है

ऐसे व्यापारों से होने वाली आय को व्यवसाय माना जाता है।

आय "

बैंक फिक्स के निवेश अवसरों की तुलना करते हुए

एन. एस. ई. एल. में व्यापार के अवसरों के साथ बैठता है, एन. एस. ई. एल. ने दर्शाया किः

महाराष्ट्र राज्य v. 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" तुलना

390 दिनों के लिए बैंक एफ. डी. 9.25%; एन. एस. ई. एल. व्यापार का अवसर

16 % ;

बैंक एफ. डी. की न्यूनतम अवधि 390 दिन; एन. एस. ई. एल. व्यापार अवधि

35-55 अनुबंध के आधार पर दिन

व्यापारियों के पास अपनी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ने का विकल्प होता है। उनकी सुविधा "

'जोखिम प्रबंधन' के शीर्षक के तहत, निम्नलिखित

एन. एस. ई. एल. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हैः

" जोखिम प्रबंधन

टी + 2/टी + 3 अनुबंधों में विक्रेता से अतिरिक्त मार्जिन एक्सचेंज ने नीलामी/क्लोजआउट के लिए दिशानिर्देशों को परिभाषित किया है।

(परिपत्रः 029/2008)

गोदाम प्रबंधन में चयन, प्रत्यायन,

गुणवत्तापूर्ण विश्राम, धूमन और बीमा "

उदाहरण के लिए, एक टी + 2 अनुबंध खरीदेंगे (टी + 2 पर भुगतान-दायित्व के साथ) और साथ ही एक टी + 25 अनुबंध बेचेंगे (टी + 25 पर धन से भुगतान के साथ)। दो निपटान तिथियों के बीच मूल्य अंतर को लगभग 16 प्रतिशत के वार्षिक रिटर्न की पेशकश के लिए दर्शाया गया था। एन. एस. ई. एल. ने स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया कि सभी व्यापार संपार्श्विक द्वारा समर्थित थे स्टॉक के रूप और इसकी प्रबंधन गतिविधियों में चयन, मान्यता, गुणवत्ता परीक्षण, धूमन और बीमा शामिल थे। इसलिए, एन. एस. ई. एल. ने प्रतिनिधित्व किया कि धन और वस्तुएँ प्राप्त करने पर, सदस्य

'सुनिश्चित प्रतिफल' और 'सेवा' प्राप्त करेंगे। हालांकि एन. एस. ई. एल. 'जमा' प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह जमा के बदले वादे के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है और मांग पर जमा राशि वापस करने में विफल रहा है। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य ने कुर्की जारी करना उचित ठहराया।

एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचनाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

C. 4 षड्यंत्र का खुलासा करना

C. 4.1 द ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट

46. एफ. एम. सी. ने ग्रांट थॉर्नटन एल. एल. पी. को फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया एन. एस. ई. एल. की प्रथाएँ और अभिलेख। रिपोर्ट में पाया गया कि एन. एस. ई. एल. ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है:

(अ)

एन. एस. ई. एल. ने उन सदस्यों को अनुमति दी जिन्होंने बार-बार चूक की थी

एन. एस. ई. एल. के विनिमय नियमों के तहत व्यापार जारी रखते हुए, एक सदस्य जिसके पास अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक नहीं है, उसे आगे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख)

सदस्य जो चूक में थे या जो थक गए थे

उनकी मार्जिन सीमा, मार्जिन से छूट दी गई थी

आवश्यकताएँ;

((ग)

में वस्तुओं का अपर्याप्त संपार्श्विक था

गोदामों और एन. एस. ई. एल. ने लगन से संचालन नहीं किया व्यायाम;

((घ)

प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन संचालन का प्रबंधन। हालांकि, बोर्ड विफल रहा

ऐसी दस समितियों में से नौ का गठन करें। वहाँ भी नहीं है

यह प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य कि क्या कोई गठित समिति हमेशा बुलाई जाती थी;

(ई)

ग्राहक मार्जिन जमा और निपटान निधि का उपयोग किया गया था

चूक करने वाले सदस्यों के दायित्वों को पूरा करने के लिए। एन. एस. ई. एल. ने नियमित रूप से सदस्यों द्वारा की गई जमा राशि का उपयोग अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया। उदाहरण के लिए, 28 मार्च 2013 को रु। 236.5 एन. एस. ई. एल. के व्यावसायिक ओवरड्राफ्ट खाते को निधि देने के लिए निपटान निधि से करोड़ रुपये निकाले गए थे। 2012 से जून 2013 तक ग्राहक निपटान निधि शेष में चालू घाटा है। वित्तीय दल ने कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाया था।

(च)

श्री जिग्नेश शाह ने 10 जुलाई 2013 को अपनी प्रस्तुति में एफ. एम. ए. ने कहा था कि एन. एस. ई. एल. द्वारा मान्यता प्राप्त 120 गोदामों में रुपये मूल्य की वस्तुएँ थीं। 6,000 करोड़। हालांकि, गोदाम गतिविधियों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था

दीर्घकालिक व्यापार यह दर्शाते हैं कि अनुबंध महाराष्ट्र राज्य नहीं थे।

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

स्टॉक द्वारा सुरक्षित। सदस्यों का संपार्श्विक हिरासत में नहीं था और एन. एस. ई. एल. का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था।

(जी)

हालांकि गोदाम विकास और नियामक

प्राधिकरण ने मई 2011 में अपने गोदाम के पंजीकरण के लिए एन. एस. ई. एल. के आवेदन को खारिज कर दिया था।

प्रतिष्ठान ने अभी भी प्रतिनिधित्व किया कि गोदाम थे

प्राधिकरण के साथ पंजीकृत;

(ज) यद्यपि गोदाम की रसीदें इस बात का प्रमाण हैं कि

वस्तु को एक अनुमोदित गोदाम में रखा जाता है, वस्तुओं को जमा किए बिना रसीदें जारी की जाती हैं। एन. एस. ई. एल. ने बिक्री लेनदेन को निष्पादित करने से पहले गोदामों में वस्तुओं को जमा करने पर जोर नहीं दिया। एनएसईएल ने जारी किया

वितरण आवंटन रिपोर्ट गलत तरीके से प्रस्तुत करती है कि प्रत्येक लेनदेन वितरण आधारित था और इसके साथ समर्थित था

वस्तुएँ;

सी. 4. 2 63 चंद्रमा निर्णय

47. एन. एस. ई. एल. ने 24 चूककर्ताओं से 5,600 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कथित रूप से ठगे गए व्यापारियों द्वारा दायर एक मुकदमे में तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व दायर किया। वसूली के लिए मध्यस्थता की कार्यवाही भी शुरू की गई थी देय राशि। रुपये की राशि। 3,365 5, 000 करोड़ रुपये में से करोड़ों रुपये अदालती आदेशों और मध्यस्थता पुरस्कारों के माध्यम से कवर किए गए हैं। 6 जनवरी 2014 को, ईओडब्ल्यू, मुंबई ने एनएसईएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ, वेयरहाउसिंग के प्रमुख और दो अन्य चूककर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि एन. एस. ई. एल. के इन कर्मचारियों ने चूककर्ताओं के साथ सांठगांठ की थी ताकि वे मान्यता प्राप्त गोदामों में सामान जमा किए बिना प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर सकें। एफ. एम. सी. ने 18 अगस्त 2014 को भारत संघ को लिखा कि एन. एस. ई. एल. और 63 चंद्रमाओं का विलय किया जाए। स्थापित किए गए प्रतिनिधि मुकदमे में, बंबई उच्च न्यायालय ने चूककर्ताओं के दायित्व का निर्धारण करने और वसूली की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए न्यायमूर्ति वी. सी. डागा, न्यायमूर्ति जे. सोलोमन और न्यायमूर्ति श्री योगेश थार की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की। इसके अलावा रु। 3,365 अदालती आदेशों और मध्यस्थता पुरस्कारों के माध्यम से कवर किए गए करोड़ रुपये, उच्च स्तरीय समिति ने रुपये की एक और राशि को स्पष्ट किया था। 835.88 चूककर्ताओं से वसूल किया जाना।

48. 15 अक्टूबर 2014 को, अपर सचिव, विभाग

आर्थिक मामलों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि 63 चंद्रमा और एन. एस. ई. एल. [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए अलग-अलग पहचान बनाए हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निवेशकों को धन से वंचित करें। यह कहा गया था कि कॉर्पोरेट घूंघट

विलय को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका ने बॉम्बे के फैसले को चुनौती दी। उच्च न्यायालय। समामेलन आदेश की वैधता निर्धारित करने के क्रम में दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें दोहरे अनुबंधों (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) के संबंध में की गई विशेषताओं और अभ्यावेदनों और भुगतान की चूक में एन. एस. ई. एल. की भूमिका पर चर्चा की गईः

" 1.3 . इन दीर्घकालिक अनुबंधों (जैसे टी + 25) का पहली बार सितंबर 2009 में एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज में कारोबार किया गया था। बोर्ड ऑफ

एन. एस. ई. एल. ने ऐसे दीर्घकालिक अनुबंधों की शुरुआत करने वाले परिपत्रों की पुष्टि की।

नवंबर 2009 से शुरू होने वाली अवधि में।

1.4 . वित्तपोषण व्यवसाय के अस्तित्व के संबंध में और सबूत प्राप्त किए गए, जैसे कि प्रस्तुतियाँ जिसमें कहा गया था कि निवेश पर एक निश्चित प्रतिफल दर की गारंटी थी।

एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज पर कुछ उत्पादों में।

ईमेल डेटाबेस की समीक्षा पर कई आंतरिक (एन. एस. ई. एल.) प्रस्तुतियाँ पाई गईं, जो एक उपज (जैसे 16 प्रतिशत) निर्धारित करती हैं।

निवेशकों के लिए कुछ उत्पादों में व्यापार करने का अवसर

एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज पर।

एन. एस. ई. एल. पर किए गए निवेश पर एक निश्चित लाभ का दावा करने वाले अपने ग्राहकों के लिए एक ब्रोकरेज हाउस (जियोजीत कॉमट्रेड लिमिटेड) द्वारा एक बाहरी प्रस्तुति भी प्राप्त की गई थी। विनिमय करें। इसके अलावा, इस प्रस्तुति ने घोषणा की कि वास्तविक वितरण

इस तरह के लेन-देन में स्टॉक की आवश्यकता नहीं होगी।

1.5 . ग्रांट थॉर्नटन ने भी दोहराए जाने के प्रमाण प्राप्त किए

एन. एस. ई. एल. विनिमय नियमों और उप-कानूनों का उल्लंघन जो

इस तरह के वित्तपोषण लेनदेन को जारी रखने और बढ़ने में सुविधा प्रदान की

आकार में निम्नानुसारः

दोहराए गए डिफ़ॉल्टः एन. एस. ई. एल. विनिमय नियमों के अनुसार एक सदस्य जिसके पास अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक/धन आदि नहीं है, उसे आगे व्यापार करने की

अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम को आवर्ती आधार पर ओवरराइड किया गया था।

इसके अलावा ई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बार-बार चूक करने वाले सदस्यों को व्यापार करने और बढ़ाने की अनुमति दी गई थी उनके खर्च। उदाहरण के लिए, लोटस रिफाइनरीज ने एक्सचेंज के नियमों के अनुसार, 1-4-2012 और 30-7-2013 की पंद्रह महीने की अवधि के बीच 198 दिनों में चूक की थी।

2009 से 2013 के बीच। सदस्य संपार्श्विक की अपर्याप्त निगरानीः एन. एस. ई. एल. ने स्टॉक के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया

सदस्य गोदामों का प्रबंधन करते थे, जिन पर व्यापार किया जा रहा था निष्पादित किया। ग्रांट थॉर्नटन ने एक स्टॉक सत्यापन अभ्यास किया और अपेक्षित संपार्श्विक की तुलना में महत्वपूर्ण कमी पाई।

निर्णय ने मुवक्किल के दुरुपयोग के निष्कर्षों को संदर्भित किया

ग्रांट थोर्नटन रिपोर्ट में ई. एस./निपटान निधिः

" 1.12 . ग्राहक धन/निपटान निधि का दुरुपयोगः एन. एस. ई. एल. एक्सचेंज के नियमों और उप-कानूनों के अनुसार "मार्जिन"

समाशोधन सदस्यों द्वारा उनके घटक से प्राप्त जमा

अलग-अलग खातों में अलग से रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल संबंधित घटक सदस्यों के लाभ के लिए किया जाएगा और ग्राहक की स्थिति "।

ग्रांट थॉर्नटन को सबूत मिले (ईमेल सहित) कि

ग्राहक धन/निपटान निधि का नियमित रूप से उपयोग किया जाता था

चूक करने वाले सदस्यों के दायित्वों को पूरा करना।

इसके अलावा, एन. एस. ई. एल. ने ग्राहक धन/निपटान निधि का उपयोग किया।

नियमित रूप से अपने स्वयं के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। के लिए उदाहरण के लिए, एन. एस. ई. एल. के अपने व्यवसाय ओवरड्राफ्ट के वित्तपोषण के लिए निपटान कोष से 28-3-2013 पर 236.5 करोड़ रुपये निकाले गए थे।

अप्रैल 2012 से जून 2013 तक ग्राहक धन/निपटान निधि शेष में चालू घाटा था। की वित्त टीम एफ. टी. आई. एल. ने कई मौकों पर इसे चिंता के विषय के रूप में उठाया था।

दस्तावेजीकरण की कमी पर रिपोर्ट का निष्कर्ष

फैसले में आवास गतिविधियों पर चर्चा की गईः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वहाँ नहीं था

दीर्घावधि के लिए गोदाम गतिविधियों के संबंध में प्रलेखन

एनएसईएल। एन. एस. ई. एल. का इन गोदामों पर नियंत्रण नहीं था और ग्रांट थॉर्नटन को कई गोदामों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था।

गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण ने

तथ्य ने अपने गोदामों के पंजीकरण के लिए एन. एस. ई. एल. के आवेदन को खारिज कर दिया

16-5-2011 पर वापस जाएँ। इस तरह की अस्वीकृति के बावजूद, एन. एस. ई. एल. की वेबसाइट ने प्रतिनिधित्व किया कि इसके गोदामों के साथ पंजीकृत थे

प्राधिकरण। कभी भी कोई सत्यापन या उचित परिश्रम नहीं किया गया।

एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने सदस्यों द्वारा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

इसके नियमों और उप-कानूनों में उल्लिखित, भले ही एन. एस. ई. एल. उप-कानूनों के संदर्भ में, एन. एस. ई. एल. द्वारा जारी गोदाम रसीद का उद्देश्य था -

किसी वस्तु को किसी अनुमोदित गोदाम में रखे जाने का प्रमाण।

एन. एस. ई. एल. ने गोदामों में वस्तुओं को जमा करने पर जोर नहीं दिया।

बिक्री लेनदेन निष्पादित करने से पहले। इसके बजाय एन. एस. ई. एल. ने सहारा लिया

वितरण आवंटन रिपोर्ट (डी. ए. आर.) जारी करना जो वास्तविक निवेशकों को दर्शाता है कि प्रत्येक लेन-देन वितरण आधारित था और इन पर समर्थित था।

माल की आवश्यक मात्रा के अनुसार बिक्री का समय

गोदाम "।

एफ. एम. सी. के दिनांकित 17.12.2013 के आदेश में निष्कर्ष, जिसमें 63 चंद्रमाओं और एन. एस. ई. एल. द्वारा प्रकट किए गए रहस्योद्घाटन का खुलासा किया गया था, का भी उल्लेख किया गया था।

लोइंग अर्कः

यह पूरी तरह से एफ. टी. आई. एल. के स्वामित्व में है। हमने यह भी बताया है कि श्री जिग्नेश शाह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एफ. टी. आई. एल.

बोर्ड में निदेशक रहे और उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया

एन. एस. ई. एल. के अध्यक्ष और एक प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

शुरुआत। इसी तरह, श्री जोसेफ मैसी और श्री श्रीकांत

जवालगेकर उक्त कंपनी के निदेशक रहे हैं। एन. एस. ई. एल. में निपटान संकट पहली बार जुलाई 2013 में सामने आने तक शुरू हुआ। एन. एस. ई. एल. में 5500 करोड़ रुपये से अधिक के निपटान चूक से जुड़े धोखाधड़ी को स्थापित करने वाले तथ्यों पर चर्चा की गई है।

इस आदेश के पैरा 14.7 में स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा जारी किए गए नोटिसों के साथ-साथ दोहराए गए एस. सी. एन. की लंबाई।

महाराष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. एस. ई. एल. के शासन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली होल्डिंग कंपनी के रूप में एफ. टी. आई. एल. पर भी प्रकाश डाला गया है। एन. एस. ई. एल. पर एफ. टी. आई. एल. का नियंत्रण इससे और स्पष्ट हो जाता है

आयोग के समक्ष मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएँ यह कहते हुए कि श्री जिग्नेश शाह, श्री जोसेफ मैसी और एफ. टी. आई. एल. के कई अन्य अधिकारियों ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की और उनकी मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

15.1. 1 . छूट अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन, उत्पन्न करने के लिए युग्मित अनुबंधों में व्यापार जिंस व्यापार की आड़ में आश्वस्त वित्तीय लाभ, उन सदस्यों का प्रवेश जो कम पूंजी वाले गरीब थे

निवल मूल्य और उन लोगों को मार्जिन छूट देना जो बार-बार अपने बकाया का निपटान करने में चूक कर रहे थे, बिना या अपर्याप्त स्टॉक के साथ खराब भंडारण सुविधाएं, कोई जोखिम प्रबंधन नहीं

एस. जी. एफ. में निधियों का प्रावधान न करना, वित्त वर्ष 2012-13 के लिए श्री मुकेश पी. शाह को जानबूझकर वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करना, जो श्री जिग्नेश शाह से संबंधित थे, और स्पष्ट रूप से संलिप्तता। चूककर्ताओं के निवेशकों को धोखा देने आदि के कारण

एन. एस. ई. एल. का बोर्ड, जिसमें से एक उपाध्यक्ष था कंपनी।

15.1. 2 . मामले के तथ्यों और जिस तरह से एन. एस. ई. एल. के व्यावसायिक मामलों को संचालित किया गया था, उसमें कोई संदेह नहीं है।

हमारा मानना है कि एफ. टी. आई. एल. ने अपनी इन दलीलों के बावजूद कि वह एन. एस. ई. एल. के मामलों और संचालन से अनभिज्ञ था, प्रबंधन पर एक प्रमुख प्रभाव डाला, और एन. एस. ई. एल. के शासन का निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण किया। धोखाधड़ी का सामना करते हुए

एन. एस. ई. एल., एफ. टी. आई. एल. के व्यापारिक मंच पर 13,000 से अधिक विक्रेताओं/निवेशकों के लिए 5500 करोड़ रुपये के निपटान संकट से जुड़े इतने बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे शरण नहीं ले सकते हैं ताकि एन. एस. ई. एल. में हुई धोखाधड़ी की कार्रवाइयों से खुद को अन्यायपूर्ण रूप से अलग कर सकें जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा भुगतान संकट पैदा हो।

15.1. 3 . एफ. टी. आई. एल. का मुख्य व्यवसाय विकास है।

सॉफ्टवेयर जो शेयरों और प्रतिभूतियों, वस्तुओं, विदेशी मुद्रा आदि में दलाली में लगे लगभग पूरे उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी मंच बन गया है। जैसा कि प्रदर्शित किया गया है [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. टी. आई. एल. द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुति में, एफ. टी. आई. एल. ने प्रतिभूतियों और वस्तुओं दोनों के लिए कई विनियमित एक्सचेंज शुरू किए हैं। भारत के साथ-साथ विदेशों में व्युत्पन्न। एन. एस. ई. एल. को निगमित किया गया था।

अखिल भारतीय आधार पर कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज का एक व्यापारिक मंच प्रदान करना, जिसके उद्देश्य के लिए उसने स्पष्ट रूप से एफ. सी. आर. ए., 1952 के संचालन से छूट मांगी थी और दी गई थी। चूंकि एन. एस. ई. एल. का उद्देश्य हाजिर व्यापार को बढ़ावा देना था।

मॉडल ने अग्रिम अनुबंधों में व्यापार करने पर विचार नहीं किया। एफ. टी. आई. एल. ने पहले ही एम. सी. एक्स. को बढ़ावा दिया था। अग्रिम अनुबंधों में व्यापार के उद्देश्य से एफ. सी. आर. ए., 1952 के तहत विनिमय। इसलिए, से छूट प्राप्त करने के बाद

एफ. सी. आर. ए., 1952 के दायरे में इस आधार पर कि इसका उद्देश्य हाजिर व्यापार को बढ़ावा देना था, एन. एस. ई. एल. को युग्मित अनुबंधों की योजना के माध्यम से अग्रिम अनुबंधों में व्यापार की अनुमति देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, जिससे उसे दी गई छूट अधिसूचना में निर्धारित शर्तों की अवहेलना हुई। एन. एस. ई. एल. पर एन. एस. ई. एल. प्लेटफॉर्म पर अग्रवर्ती अनुबंधों में व्यापार की अनुमति देने के पीछे का उद्देश्य, जिसे न तो एफ. सी. आर. ए., 1952 के तहत मान्यता दी गई थी और न ही पंजीकृत किया गया था, एफ. टी. आई. एल. के प्रवर्तक की ओर से नियामक की नजरों से दूर अवैध लाभ के लिए अपनी सहायक कंपनी के व्यापार मंच का उपयोग करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे का संकेत देता है। तथ्य यह है कि एफ. टी. आई. एल

15.1. 4 . पूर्वगामी टिप्पणियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कदाचार, सत्यनिष्ठा की कमी और अनुचित को प्रकट करते हैं एफ. टी. आई. एल. की ओर से अपनी सहायक कंपनी, एन. एस. ई. एल. की गतिविधियों की योजना बनाने, निर्देशित करने और नियंत्रित करने की प्रथाओं से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एफ. टी. आई. एल., मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (एम. सी. एक्स.) में प्रमुख निवेशक के रूप में, उपरोक्त विनियमित एक्सचेंज का शेयरधारक बने रहने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र, निष्पक्षता, अखंडता या ईमानदारी का रिकॉर्ड नहीं रखता है। इसलिए, सार्वजनिक हित में और जिंस व्युत्पन्न बाजार के हित में महाराष्ट्र राज्य v.

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जो एफ. सी. आर. ए., 1952 के तहत विनियमित है, आयोग मानता है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड (एफ. टी. आई. एल.) उपयुक्त नहीं है।

और उचित व्यक्ति "2 प्रतिशत का शेयरधारक बना रहे या

एमसीएक्स की चुकता इक्विटी पूंजी का अधिक हिस्सा, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है

पूँजी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 5 वर्षों के संचालन के बाद वस्तु विनिमय की संरचना।

यह भी आदेश दिया जाता है कि न तो एफ. टी. आई. एल. और न ही कोई कंपनी/संस्था

इसके द्वारा नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी शेयर धारण करेगा।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संघ/विनिमय में या कुल सीमा से अधिक एफ. एम. सी. द्वारा पंजीकृत

विहित रूप में ऐसे संघ/विनिमय की चुकता इक्विटी पूंजी

वस्तु विनिमय दिशानिर्देशों के तहत और 5 वर्ष के बाद दिशानिर्देश "।

(जोर दिया गया)

49. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया

एन. एस. ई. एल. के साथ कुछ व्यापारिक सदस्यों द्वारा रची गई साजिश के माध्यम से व्यापारिक सदस्यों को ठगा गया था। तथापि, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एन. एस. ई. एल. और 63 चंद्रमाओं के समामेलन का आदेश कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है क्योंकि धारा 396 में 'अनिवार्यता' पहलू संतुष्ट नहीं था क्योंकि समामेलन की आवश्यकता वाली 'आपातकालीन स्थिति' अल्पकालिक थी। इसके अलावा, यह देखा गया कि विलय का कारण एन. एस. ई. एल. की चूक करने वाले सदस्यों से वसूली करने में वित्तीय अक्षमता थी। अदालत ने नोट किया कि 12 फरवरी 2016 के समामेलन के अंतिम आदेश में ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वसूली के लिए की गई कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है जो इसके अलावा अन्य तरीकों का संकेत देते हैं।

समामेलन जिसके माध्यम से धन की वसूली की जा सकती थी। यह कार्रवाई

ई. ओ. डब्ल्यू. और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लिए गए उद्धरण को निम्नलिखित उद्धरण में संदर्भित किया गया हैः

" 92.1 . ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतिम आदेश के समय तक

समामेलन का आदेश पारित किया गया था अर्थात 12-2-2016 पर, अंतिम आदेश स्वयं अभिलिखित करता हैः

" 8.1 . आर्थिक अपराध शाखा, मुम्बईः

(i) 24 चूककर्ताओं से कुल देय और वसूली योग्य राशि है -

रुपये 5689.95 करोड़।

(ii) चूककर्ताओं की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा

करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(iii) 1233.02 करोड़ रुपये के फरमान प्राप्त किए गए हैं।

5 चूककर्ताओं के खिलाफ।

(iv) 1 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां

चूककर्ताओं को कुर्क किया गया है, जिनमें से एम. पी. आई. डी. अदालत की देखरेख में परिसमापन के लिए एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत राजपत्र में 1 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रकाशित की गई है और 2 करोड़ रुपये की शेष संपत्ति कुर्क/सुरक्षित की गई है।

ईओडब्ल्यू द्वारा संलग्नक।

(v) निदेशकों की कुल 1 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ

और एन. एस. ई. एल. के कर्मचारियों को कुर्क किया गया है, जिनमें से 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही एम. पी. आई. डी. न्यायालय की देखरेख में परिसमापन के लिए एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है और ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा कुर्क करने के लिए 3 करोड़ रुपये की शेष संपत्ति कुर्क/सुरक्षित की गई है।

(vi) एमपीआईडी अदालत पहले ही धाराओं के तहत नोटिस जारी कर चुकी है।

4 & 5 उन व्यक्तियों को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा, जिनकी संपत्ति ऊपर की तरह कुर्क की गई है। इस प्रकार कुर्क की गई परिसंपत्तियों के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

(vii) बंबई उच्च न्यायालय ने 3 सदस्यों की नियुक्ति की है।

श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में समिति वी. सी. डागा और 2 विशेषज्ञ चूककर्ताओं की परिसंपत्तियों की वसूली और मुद्रीकरण के लिए वित्त और कानून में।

(viii) अब तक कुल 1 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

जिसमें चूककर्ताओं से 1 करोड़ रुपये प्राप्त/वसूल किए गए हैं और एन. एस. ई. एल. द्वारा छोटे व्यापारियों/निवेशकों को 17 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

8.2 . प्रवर्तन निदेशालयः

(i) ईडी ने रुपये की अपराध आय का पता लगाया है।

3973.83 25 चूककर्ताओं को करोड़;

(ii) ईडी ने 837.01 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

12 चूककर्ताओं से संबंधित;

(iii) पीएमएलए में हाल के संशोधन के अनुसार, परिसंपत्तियाँ

ईडी द्वारा संलग्न का उपयोग पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के लिए किया जा सकता है।

8.3 . उपरोक्त स्थिति इंगित करती है कि उक्त प्रवर्तन

एजेंसियां अपने आदेश के अनुसार काम कर रही हैं।

(जोर दिया गया)

ई-महाराष्ट्र राज्य बनाम। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय ने नोट किया कि धारा में 'अनिवार्यता' की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम का पालन नहीं किया गयाः

" 92.2 . अगस्त 2014 में एफ. एम. सी. से संबंधित अंतिम समामेलन आदेश की तारीख तक, समामेलन के बिना बड़े पैमाने पर निवारण किया गया है। 2013 की "आपातकालीन स्थिति", जिसमें केंद्र सरकार के अनुसार भी अनिवार्य एकीकरण के आकस्मिक कदम की आवश्यकता थी, केंद्र सरकार के आदेश के पारित होने तक गायब हो गई है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम की धारा 396 को लागू करने का कारण समय के साथ गायब हो गया है। वास्तव में, आज तक, चूककर्ताओं के खिलाफ 3365 करोड़ रुपये के फरमान/पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं, जिसमें आई. एन. आर. 835.88 करोड़ द्वारा गठित समिति द्वारा स्पष्ट किए गए हैं।

उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति लंबित होने तक, एक समामेलित कंपनी के रूप में एफ. टी. आई. एल. के वित्तीय संसाधनों का उपयोग किए बिना भी। इसलिए, जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जो उभर रहा था,

और इसलिए, आवश्यक, यहां तक कि एफएमसी के अनुसार और

समामेलन आदेश दिए जाने तक 2016 में 2013-2014 में सरकार का काफी हद तक निवारण कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार का आदेश अनिवार्यता के पहलू पर अपने दिमाग को लागू नहीं करता है धारा 396 बिल्कुल भी। वास्तव में, कई स्थानों पर, यह "आवश्यक सार्वजनिक हित" को संदर्भित करता है जैसे कि "आवश्यक" धारा 396 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक अलग और विशिष्ट शर्त होने के बजाय "सार्वजनिक हित" के साथ जाता है। तथ्यों पर, इसलिए, यह स्पष्ट है कि अनिवार्यता परीक्षण, जो शर्त पूर्ववर्ती है

धारा 396 की प्रयोज्यता को संतुष्ट नहीं कहा जा सकता है।

फैसले में कहा गया कि एन. एस. ई. एल. ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया था कि उसे संपार्श्विक माना गया था और स्टॉक का मूल्य रु। 6,000 करोड़ः

" 91.3 . हमने देखा है कि न तो एफ. टी. आई. एल. और न ही एन. एस. ई. एल. ने इस तथ्य से इनकार किया है कि वस्तुओं में युग्मित अनुबंध चल रहे थे, और अप्रैल से जुलाई 2013 तक, 99 प्रतिशत (और ई-श्रृंखला अनुबंधों को छोड़कर), एन. एस. ई. एल. के कारोबार का कम से कम 46 प्रतिशत ऐसे युग्मित अनुबंधों से बना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे युग्मित अनुबंध, वास्तव में, वित्तपोषण लेनदेन थे जो बिक्री से अलग थे और

वस्तुओं में खरीद लेनदेन और इस प्रकार, उल्लंघन में थे

एन. एस. ई. एल. और एफ. सी. आर. ए. दोनों को दी गई छूट। हम.

यह भी देखा है कि एन. एस. ई. एल. ने पूरे समय यह प्रतिनिधित्व किया है कि यह

वास्तव में, स्पॉट डिलीवरी से संबंधित एक वस्तु विनिमय था।

ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट और एफएमसी आदेश के अलावा, हम [2022] 10 एस. सी. आर.

यह भी देखा है कि श्री जिग्नेश शाह ने 10-7-2013 पर डी. सी. ए. और एफ. एम. सी. को अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एन. एस. ई. एल. के पास संपार्श्विक के रूप में पूरा स्टॉक था; मार्जिन मनी के रूप में खुली स्थिति का 10-20% और यह कि वर्तमान में स्टॉक एन. एस. ई. एल. के 120 में है।

गोदामों का मूल्य 6000 करोड़ रुपये था, जो सभी गलत साबित हुए। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुलाई 2013 में एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने एक्सचेंज पर व्यापार बंद करने के परिणामस्वरूप लगभग 5600 करोड़ रुपये का भुगतान संकट पैदा हो गया था। द.

आगे सवाल यह है कि क्या इन तथ्यों को देखते हुए, धारा 396 की प्रयोज्यता के लिए पूर्ववर्ती शर्तों का पालन किया गया था।

50. इस न्यायालय ने 63 चंद्रमाओं (ऊपर) में अपने फैसले में उस कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया जिसके द्वारा चूक हुई, विशेष रूप से

नियमों का पालन न करने में एन. एस. ई. एल. की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसने समामेलन आदेश को इस संकीर्ण आधार पर दरकिनार कर दिया कि धारा 396 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। एक कारण जिसने इस न्यायालय को समामेलन के आदेश को रद्द करने के लिए राजी किया, वह यह था कि ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय ने

चूक की गई राशि का भुगतान करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। 63 मून्स (ऊपर) के फैसले में ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट और एफ. एम. सी. के आदेश के विस्तृत विश्लेषण के बाद कहा गया है कि चूककर्ताओं और एन. एस. ई. एल. ने अपने धन के सदस्यों को धोखा देने की साजिश रची।

ग. 5 एम. पी. आई. डी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता

51. प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष एम. पी. आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि

52. बंबई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा था कि राज्य विधानमंडल के पास एम. पी. आई. डी. को लागू करने की विधायी क्षमता नहीं है, दूसरी ओर, मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने तमिलनाडु अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। द. 36 विजय सी. पुलजल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 4 सी. टी. सी. 705 (बम)

महाराष्ट्र राज्य v. 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर हमला किया गया था

भास्करन (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करने वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया और उस पर विचार किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य विधायिका के पास विधायी अधिकार हैं

विचाराधीन कानून को लागू करने की क्षमता और यह कि कानून बैंकिंग के लेनदेन या जमा की स्वीकृति के लिए नहीं था, बल्कि उन जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए था जो धोखाधड़ी से वित्तीय धोखाधड़ी से धोखा खा रहे हैं।

प्रतिष्ठान। न्यायालय ने कहाः

" 26. तमिलनाडु अधिनियम उन हजारों जमाकर्ताओं की स्थितियों को सुधारने के लिए लागू किया गया था जो धोखाधड़ी वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों के चंगुल में पड़ गए थे, जिन्होंने उच्च स्तर की उम्मीद जताई थी।

ब्याज की दर और इस प्रकार जमाकर्ताओं को धोखा दिया। इस प्रकार तमिलनाडु अधिनियम बैंकिंग के लेन-देन या जमा की स्वीकृति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। विवादित तमिलनाडु अधिनियम का उद्देश्य न तो उन बैंकों से निपटना था जो व्यवसाय या बैंकिंग करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, न ही अधिनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से।

और कंपनी अधिनियम उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं करता है जिस पर विवादित तमिलनाडु अधिनियम का कब्जा है, हालांकि बाद वाला संयोग से पहले वाले पर भारी पड़ सकता है। तमिलनाडु अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कई लाख जमाकर्ताओं के आँसू पोंछने का समाधान प्रदान करना है ताकि धोखाधड़ी वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों से उनके बकाया का प्रभावी ढंग से और तेजी से भुगतान किया जा सके, जिन्होंने उन्हें या उनके विक्रेताओं को कानूनी लड़ाई में घसीटे बिना धोखा दिया। पोस्ट करें। इसलिए, दिल्ली क्लॉथ मिल्स [(1983) 4 एस. सी. सी. 166] में इस न्यायालय के फैसले का दिल्ली क्लॉथ मिल्स की संवैधानिक वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

तमिलनाडु अधिनियम "।

विजय सी. पुलजल बनाम में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय। भास्करन (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में महाराष्ट्र राज्य 3 7 को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः 37 (2005) 4 सीटीसी 705 (बम)

" 14. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने पूर्ण पीठ पर भरोसा किया विजय सी. पुलजल मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय [(2005) 4 सी. टी. सी. 705 (बॉम)] अपने इस तर्क के समर्थन में कि तमिल महाराष्ट्र अधिनियम की तरह ही नाडु अधिनियम भी असंवैधानिक था। राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे। हम. सहमत न हों।

15. हमने पूर्ण पीठ के फैसले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। विजय मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय [(2005) 4 सी. टी. सी. 705 (बम)] और हम बॉम्बे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हैं उच्च न्यायालय। यह ध्यान दिया जा सकता है कि हालांकि कुछ हैं तमिलनाडु अधिनियम और के बीच अंतर महाराष्ट्र अधिनियम, वे मामूली अंतर हैं, और इसलिए हम यहाँ जो दृष्टिकोण ले रहे हैं वह इस संबंध में भी लागू होगा - महाराष्ट्र अधिनियम। ”

(जोर दिया गया)

53. यह मानने के अलावा कि राज्य विधानमंडल में विधायी प्रावधानों की कमी नहीं है कानून को लागू करने का अधिकार, भास्करन (ऊपर) में भी निर्णय संकेत दिया कि तमिलनाडु अधिनियम ने प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (छ) या 21। इस संदर्भ में, जबकि में अधिनियमित कानून के खिलाफ संवैधानिक चुनौती का सामना करना आई. एन. यू., न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 31. हम यह देखने में विफल हैं कि अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन कैसे होता है, 19 (1) (छ) या संविधान का 21। यह अधिनियम एक हितकारी उपाय है

एक बड़ी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए। एक व्यवस्थित साजिश रची गई थी

कुछ धोखाधड़ी वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा जो न केवल

जमाकर्ताओं का शोषण करने में वित्तपोषकों का एक कुख्यात दुरुपयोग है जमाकर्ताओं का विश्वास जिन्होंने निर्दोष रूप से अपना पैसा जमा किया

उच्च ब्याज दर के लिए पूर्व। ये जमाकर्ता अक्सर

अधिकांश वृद्ध जमाकर्ताओं के मामले में चिकित्सा बीमा, लेकिन वास्तव में सभी मामलों में यह एक असुरक्षित वादा था जिसे एक

बेकार कागज। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक

60 और 80 वर्ष के बीच, विधवाएँ, विकलांग, द्वारा निष्कासित वार्ड, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी और व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य v.

63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जमाकर्ताओं का बड़ा हिस्सा था। विवादित अधिनियम की सहायता के बिना, यह असंभव होता

उनकी जमा राशि और उस पर ब्याज की वसूली करना।

32. भारी खर्चों वाली पारंपरिक कानूनी कार्यवाही

33. माता-पिता के रूप में नागरिकों के कल्याण का संरक्षक होने के नाते राज्य इस बीमारी का समाधान खोजे बिना मूक दर्शक नहीं हो सकता है। वित्तीय धोखेबाज, जो और कुछ नहीं बल्कि धोखेबाज और चालाक हैं, जिनके पास कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके लिए आकर्षक रिटर्न का झूठा वादा करके आसान पैसे की वासना है।
भोली-भाली निवेशकों से सख्ती से निपटा जाना था। व्यक्तिगत जमाकर्ताओं की एक बड़ी संख्या से एकत्र की गई छोटी राशि

भारी मात्रा में धन में परिणत हुआ। इन संग्रहों को तीसरे पक्ष के नाम पर मोड़ दिया गया और आखिरकार एक दिन धोखाधड़ी करने वाले वित्तपोषकों ने निर्दोष जमाकर्ताओं को अधर में छोड़कर अपने वित्तीय प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। "

54. फैसले में कहा गया कि तमिलनाडु अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है और एक हितकारी उपाय है जो लंबे समय से समाप्त हो गया था-जिसके कारण

इन मामलों से निपटें। महत्वपूर्ण रूप से, भास्करन (ऊपर) में निर्णय से उपरोक्त उद्धरण इंगित करते हैं कि दोनों के बीच अंतर

55. भास्करन (उपरोक्त) मामले में फैसले के बाद न्यू होराइजन्स शुगर मिल्स लिमिटेड में इस अदालत की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। वी. पांडिचेरी सरकार 3 8. यह मामला एक कंपनी द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों को कुर्क करने की पांडिचेरी सरकार की कार्रवाई से उत्पन्न हुआ। पांडिचेरी के हितों के संरक्षण की वैधता

वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम 2004 में जमाकर्ताओं पर भी सवाल उठाए गए थे। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या पीठ और सार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ सूची या संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य में प्रविष्टियों के लिए अधिनियम का पता लगाया जा सकता है। विज्ञापन देने के बाद

भास्करन (ऊपर) में निर्णय जिसने राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता पर बॉम्बे कोर्ट के पूर्ण पीठ के फैसले को अस्वीकार करते हुए तमिलनाडु को बरकरार रखा

आईपीआईडी अधिनियम, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 50. उपरोक्त के अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम और पांडिचेरी अधिनियम अधिनियमित किए गए थे, वे समान हैं, अर्थात्, संरक्षण के लिए।

धोखाधड़ी से छोटे जमाकर्ताओं के हित

संदेहहीन निवेशक, जिन्होंने अपनी जीवन बचत को सौंपा

बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति और जिन्होंने अंततः विश्वासघात किया

उनका विश्वास।

51. हालाँकि, संवैधानिक पहेली पर वापस आते हुए कि

मद्रास उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दो विचारों के कारण प्रस्तुत किया गया है, यह विचार किया जाना चाहिए कि दोनों में से कौन सा विचार संवैधानिक प्रावधानों के साथ अधिक सुसंगत होगा। इस कार्य को कुछ हद तक इस तथ्य से सरल बनाया गया है कि बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय [(2005) 4 सी. टी. सी. 705 (बी. ओ. एम.)] द्वारा महाराष्ट्र अधिनियम को अधिकार से बाहर घोषित करने के निर्णय को इस न्यायालय [सोनल हेमंत जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 601], [महाराष्ट्र राज्य बनाम। विजय सी. पुलजल, (2012) 10 एस. सी. सी. 599], ताकि अब संबंधित निर्णयों के बीच समानता हो। महाराष्ट्र अधिनियम और तमिलनाडु अधिनियम।

[.....] 59. [.....] तमिलनाडु अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम के उद्देश्य

और पांडिचेरी अधिनियम समान और/या समान प्रकृति का है, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र अधिनियम की वैधता के बाद से पांडिचेरी अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जानी चाहिए। हमें उन तीनों कानूनों की लाभकारी प्रकृति को ध्यान में रखना होगा जो सभी जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए हैं, जो अपने जीवन की कमाई और बचत को बेईमान व्यक्तियों और कंपनियों, दोनों द्वारा जारी लाभ कमाने के लिए योजनाओं में निवेश करते हैं।

निगमित और अनिगमित "। महाराष्ट्र राज्य v.

भास्करन (ऊपर) में निर्णय के बाद, विधायी क्षमता के आधार पर पांडिचेरी अधिनियम को चुनौती दी गई थी

खदेड़ दिया।

56. एम. पी. आई. डी. अधिनियम की वैधता पर विशेष रूप से इस न्यायालय के दो फैसलों में महाराष्ट्र राज्य बनाम. विजय सी. पुलजल 39 और सोनल हेमंत जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य "। दोनों निर्णयों में, इस न्यायालय ने भास्करन (उपरोक्त) में पहले के निर्णय को देखते हुए एम. पी. आई. डी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सोमा सुरेश कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार की दो न्यायाधीशों की पीठ ने भास्करन (ऊपर) और न्यू होराइजन्स शुगर मिल्स लिमिटेड (ऊपर) में पहले के फैसलों के बाद वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के आंध्र प्रदेश संरक्षण अधिनियम 1999 के प्रावधानों को बरकरार रखा।

57. वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले राज्य विधानों की संवैधानिक वैधता पर इस न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा करने के बाद

एम. पी. आई. डी. अधिनियम सहित जमा योजनाओं की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रश्न को फिर से खोलने का कोई कारण नहीं है। इस न्यायालय ने माना है कि एम. पी. आई. डी. अधिनियम विधायी आधार पर संवैधानिक रूप से मान्य है। क्षमता और जब संविधान के भाग III के प्रावधानों के खिलाफ परीक्षण किया जाता है।

C. 6 उच्च न्यायालय का निर्णय

58. एन. एस. ई. एल. के अलविदा कानूनों और नियमों का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एन. एस. ई. एल. एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जो केवल सुविधा प्रदान करता है। खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन। इस संदर्भ में, इसने देखा कि एन. एस. ई. एल. को वेतन-अपने आप में नहीं, बल्कि केवल इस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ।

उसी दिन इसे बेचने वाले व्यापारिक सदस्य को देना। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" एन. एस. ई. एल. प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले लेन-देन की प्रकृति इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर व्यापार शुरू होने के बाद से यह सार्वजनिक क्षेत्र में भी था। एन. एस. ई. एल. के माध्यम से संचालित व्यवसाय/लेन-देन, एन. एस. ई. एल. द्वारा अपने स्वयं के अधिकार में प्राप्त किसी भी भुगतान राशि का खुलासा नहीं करता है, लेकिन यह केवल वस्तु व्यापार के निपटान की प्रक्रिया में प्राप्त किया गया था और केवल उसी दिन इसे बेचने वाले व्यापारिक सदस्य को देने के उद्देश्य से किया गया था। यह

40 (2012) 10 एस. सी. सी. 601 41 41 (2013) 10 एससीसी 677 [2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राशि को एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर जमा के रूप में प्राप्त नहीं कहा जा सकता है, जो 'जमा' को धन की रसीद या इस वादे पर किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति मानता है कि इस तरह के धन या मूल्यवान वस्तु को वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद वापस/चुकाया जाएगा।

निर्दिष्ट अवधि या अन्यथा।

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (सी) 'जमा' को व्यापक रूप से परिभाषित करती है। इसके अलावा, के अनुसार

परिभाषा, वापसी या तो धन, वस्तु या सेवा में हो सकती है, और यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु या धन को उसी रूप में वापस किया जाना चाहिए। परिभाषा में धन की प्राप्ति और किसी वस्तु की वापसी, या यहां तक कि किसी वस्तु की प्राप्ति और सेवा के रूप में वापसी शामिल है। इसके अलावा, उपनियम 10.8 इंगित करता है कि एन. एस. ई. एल. केवल एक मध्यस्थ नहीं था। बाय-लॉ में कहा गया है कि खरीदार क्लियरिंग हाउस को वितरण आवंटन के मूल्य का भुगतान करेगा। हालाँकि, वितरण प्रक्रिया पूरी होने तक, पैसा एन. एस. ई. एल. के क्लियरिंग हाउस द्वारा रखा जाएगा।

उच्च न्यायालय ने श्री द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख किया। पंकज सराफ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने भी यह नहीं कहा था कि उसने एन. एस. ई. एल. में कोई राशि जमा की थी। न्यायालय आगे टिप्पणी करता हैः

टी + 2 और टी + 30/33/25 की गणना उपज के रूप में की गई थी, लेकिन हमारे विचार में यह जमा के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है। एन. एस. ई. एल. ने अपने द्वारा रखी जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त किया और न ही उसे अपने खाते में जमा करने के लिए कोई राशि प्राप्त हुई।

60. उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 33 में भी टिप्पणी की

कि अधिक से अधिक, केवल टी + 2 में विक्रेताओं (और टी + 25 में खरीदारों) को 'वित्तीय प्रतिष्ठान' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह निष्कर्ष अधिनियम की धारा 2 (सी) और 2 (डी) के साथ विनिमय के कामकाज का विश्लेषण किए बिना किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि 'गोदाम रसीदें' मंच में हुए लेनदेन की प्रकृति को स्थापित नहीं करती हैं। इस संबंध में उन्होंने कहाः

महाराष्ट्र राज्य v. 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

" ..... यह रसीद एन. एस. ई. एल. के मंच पर हुए लेन-देन की प्रकृति का जवाब नहीं देती है और हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वस्तु को जमा के रूप में स्वीकार किया गया था।

लेकिन इसे एक सुनिश्चित वापसी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में, जो वस्तु स्वीकार की गई थी, वह इसलिए थी क्योंकि वह

एक खरीदार को बेचा जाए और यह राज्य का मामला नहीं है कि यह एक शुद्ध लेनदेन था जहां वस्तुओं को जमा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि लेनदेन शुल्क एन. एस. ई. एल. द्वारा लिया जाता था और खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान एन. एस. ई. एल. द्वारा निपटान की तारीख तक किया जाता था, इसलिए यह एक वित्तीय प्रतिष्ठान नहीं है।

61. उच्च न्यायालय ने एक गलत राय बनाई है कि सबसे पहले, केवल तभी जब वापसी में ब्याज, बोनस या कोई अन्य अतिरिक्त लाभ शामिल हो, तो यह एम. पी. आई. डी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए जमा राशि होगी। हालांकि, धारा 2 (सी) में कहा गया है कि रिटर्न "ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी भी लाभ के साथ या उसके बिना" हो सकता है। परिभाषा में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक अतिरिक्त लाभ होना चाहिए, बल्कि यह कि 'अतिरिक्त लाभ' परिभाषा के उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है; दूसरा, कि धारा 2 (सी) के उद्देश्य के लिए, वस्तु या धन की प्राप्ति 'स्वयं ही रखी जानी चाहिए'। परिभाषा में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। बल्कि, परिभाषा को मोटे तौर पर सीमित उद्देश्य के लिए वस्तुओं के कब्जे को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। उच्च न्यायालय ने एम. पी. आई. डी. अधिनियम के हितकारी उद्देश्य के किसी भी संदर्भ के बिना 'जमा' की परिभाषा को संक्षेप में पढ़ा है।

62. उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही के गुण-दोष पर भी टिप्पणी की। चूक में एन. एस. ई. एल. की भूमिका का उल्लेख करते हुए

आई. पी. सी. की धारा 465 और 467 के तहत अपराध हैं। ई. ओ. डब्ल्यू. ने धारा 120 (बी) के साथ पठित धारा 409,465,467,468,471,474 और 477 (4) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एम. पी. आई. डी. अधिनियम के तहत विशेष अदालत के सत्र न्यायाधीश के समक्ष धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत आरोप पत्र दायर किया। उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी जब रिट याचिका इस मुद्दे तक सीमित थी कि क्या एन. एस. ई. एल. एम. पी. आई. डी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक वित्तीय प्रतिष्ठान है।

63. उच्च न्यायालय ने कहा कि 63 चंद्रमाओं (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का वर्तमान पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है।

यद्यपि इस न्यायालय ने विनिमय की संरचना पर प्रकाश डालते हुए व्यापारिक सदस्यों को धोखा देने में एन. एस. ई. एल. की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की है। हालांकि यह देखा गया कि प्रश्न [2022] 10 एस. सी. आर.

भास्करन (सुप्रा), न्यू होराइजन्स (सुप्रा), सोनल हेमंत जोशी (सुप्रा) और विजय कुलिजल में संवैधानिक वैधता तय की गई थी।

(ऊपर), एम. पी. आई. डी. अधिनियम की संवैधानिक वैधता के लिए प्रतिवादी की चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा अभी भी खुला रखा गया था। इस तरह की टिप्पणी फैसले के पैराग्राफ 39 में ध्यान देने के बावजूद की गई थी कि भास्करन (ऊपर) में इस अदालत ने कहा था कि एम. पी. आई. डी. अधिनियम और तमिलनाडु अधिनियम में मामूली अंतर हैं और यह क़ानून संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) या 21 का उल्लंघन नहीं करता है।

64. इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2015 के डिवीजन बेंच के पहले के आदेश का उल्लेख करते हुए, जहां यह प्रथम दृष्टया दर्ज किया गया था कि

एन. एस. ई. एल. एम. पी. आई. डी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक 'वित्तीय प्रतिष्ठान' है, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से बाध्य नहीं है। डिवीजन बेंच के लिए प्रथम दृष्टया विचार पर पहुंचने का प्राथमिक आधार 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत उपज का आश्वासन देने वाले अभ्यावेदन थे।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में इस तर्क को खारिज कर दिया

65. अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि इसका एक वैकल्पिक उपाय था - धारा 7 के तहत नामित न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठाना

एमपीआईडी अधिनियम। हालाँकि अपीलार्थी के तर्क में योग्यता है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर आक्षेपित कुर्की अधिसूचनाओं की वैधता पर निर्णय लिया है, और वर्तमान कार्यवाही में तर्कों को संबोधित किया गया है, हम गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए आगे बढ़े हैं।

66. इस निर्णय में दर्ज कारणों के लिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं।

22 अगस्त 2019। प्रतिवादी की संपत्तियों को संलग्न करने वाली एम. पी. आई. डी. अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी की गई विवादित अधिसूचनाएं वैध हैं।

67. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन

(शाश्वत जैन, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)